जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 78 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 10 अक्टूबर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण हुई, पर इससे प्रश्न ज्यादा खड़े हुए उत्तर कम मिले

उदाहरण के लिए तीस लाख ऐसे वोटर हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, अब विधानसभा में वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया

- चुनाव आयोग के अनुसार, 21.53 लाख वोटर नये जुड़े हैं, पर इनमें से 16.93 लाख वोटर के ही ''फार्म 6'' उपलब्ध हैं, बाकी 4.6 लाख ''फार्म 6'' कहाँ गये, क्या यह वोटर बिना प्रक्रिया के ही जुड़ गये?
- नये वोटर में से दस प्रतिशत वोट केवल 15 एसेंबली सीटों में ही जोड़े गये हैं। अभी भी पाँच लाख डुप्लीकेट वोटर हैं, मतदाता सूची में, इनका शुद्धीकरण कैसे होगा।
- इस प्रक्रिया की जटिलता समझते हुए, लालू यादव अभी भी महागठबंधन की सीटों का बँटवारा फाइनल नहीं कर रहे हैं। वे अंतिम समय तक सबको लटकाये रखेंगे। अंतिम क्षणों में वो अपना फार्मूला प्रकट करेंगे, तब हताश होकर सभी घटक राजी होकर सीटों का बँटवारा स्वीकार कर लेंगे। चर्चा यह भी है कि यदि महागठबंधन सरकार सत्ता में आई तो जातिगत समीकरण को संतुष्ट करने के लिए तीन उपमुख्यमंत्री बनेंगे।

-रेणू मित्तल---
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे, गठबंधन साझेदारों की मांगों और सीट समायोजन को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है।

कांग्रेस ने अपनी केन्द्रीय इलैक्शन कमेटी (सीईसी) की पहली और आखिरी बैठक की, जिसमें बताया गया कि लगभग 25 सीटों और उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कौन सी सीटें कांग्रेस को मिली हैं और कुल कितनी सीटें दी गई हैं।

इस बीच, गठबंधन के भीतर अब चर्चा इस बात की चल रही है कि महागठबंधन में तीन उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनका चयन जातीय संतुलन के आधार पर किया जाएगा।

लालू प्रसाद यादव, जिन्हें गठबंधन राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, टिकट वितरण में सहयोगी दलों को आखिरी समय तक अनिश्चितता में रखने की कला में निपुण हैं, ताकि अंततः जब सीटें दी जाएं तो वे बिना विरोध स्वीकार कर लें। यह एक ऐसा खेल है, जिसमें लालू यादव हमेशा माहिर साबित हुए हैं।

हालांकि, चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप चाहे दीवार पर सिर मार लें चीख चिल्ला लें, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

दरअसल, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया और राज्य में आगामी चुनावों के लिए 7.42 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आयोग ने मशीन से, पढ़ने योग्य मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई, जिससे किसी भी तरह का विश्लेषण करना बेहद कठिन हो गया है।

इसके अलावा, आयोग ने मतदाता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हंगरी के लेखक को 2025 का नोबेल साहित्य सम्मान

स्टॉकहोम, 09 अक्टूबर। स्वीडिश अकादमी ने गुरुवार को हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लास्लो क्रास्नाहॉरकाई को वर्ष 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने के घोषणा की है। स्वीडिश अकादमी ने उनके नाम की घोषणा करते हुए बताया कि उन्हें यह पुरस्कार ''प्रलयकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुनः पुष्टि करने वाली प्रभावशाली और दूरदर्शी रचनाओं'' के लिए दिया जा रहा है।

क्रास्नाहॉरकाई समकालीन यूरोपीय साहित्य के उन लेखकों में गिने जाते हैं। वह विनाश की कहानियों में

- नोबेल विजेता लास्लो क्रास्नाहॉरकाई को उनकी विशिष्ट लेखन शैली के कारण ''प्रलय का शिल्पी'' भी कहा जाता है।

अस्तित्ववाद के साथ कल्पना को इस तरह मिश्रित कर देते हैं कि एक विचित्र एवं बेतुकी दुनिया पाठकों के सामने खड़ी हो जाती है, जो उन्हें झकझोर कर रख देती हैं। उनकी इसी विशिष्ट शैली के कारण मशहूर अमेरिकी आलोचक सुजैन सोनटेग ने उन्हें ''प्रलय का शिल्पी'' कहा था। लास्लो क्रास्नाहॉरकाई का जन्म 1954 में दक्षिण-पूर्वी हंगरी के छोटे से शहर ग्युला में हुआ था। वह अपनी कानून और साहित्य की पढ़ाई के साथ-साथ एक स्वतंत्र लेखक के रूप में भी काम करते रहे।

बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरु की चुनाव आयोग ने

बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष हैं, यह प्रक्रिया दो नवंबर से आरंभ होगी, तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं

- चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार की गल्तियाँ बंगाल में नहीं दोहराई जाएं, इसके लिए प्रक्रिया में कई सुधार कर रहे हैं।
- पहली बात तो यह है कि बिहार में यह प्रक्रिया बहुत कम समय में पूर्ण की गई थी। अब चुनाव आयोग का दावा है कि प्रक्रिया की पूर्ति के लिए पूर्ण समय दिया जायेगा, जिससे तसल्ली से काम हो। साथ ही डिजिटल साधनों का वृहत् रूप से उपयोग किया जायेगा, जिससे समय की मारा मारी और कम हो।
- स्कूलों के अध्यापक-अध्यापिकाएँ, जो फार्म आदि भरने की मूल प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, ने भी हाथ खड़े कर दिये हैं कि उन्हें अध्यापन के कार्य से महीने भर की छुट्टी दिलाई जाए, क्योंकि वे अध्यापन और फार्म भरवाना दोनों काम एक साथ नहीं कर पायेंगे।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीज़न-एसआईआर) के दौरान हुए विवादों और प्रशासनिक चूकों के बावजूद, चुनाव आयोग ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में इसी तरह की कवायद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग ने एसआईआर से संबंधित सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तय की है, जबकि यह कवायद 2 नवंबर से शुरू होगी। इस प्रक्रिया के तहत, 15 करोड़ फॉर्म छापे जाएंगे, जो राज्य के 7.65 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को दिए जाएंगे। प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियां दी जाएंगी - एक को बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को लौटाना होगा और दूसरी मतदाता अपने पास रखेगा।

बिहार में भारी विरोध झेलने के बाद, आयोग इस बार बेहद सतर्कता से कदम बढ़ा रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि बिहार जैसी प्रशासनिक खामियों की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया है, जबकि बिहार में इसे बहुत कम समय-सीमा में पूरा किया गया था।

मैनुअल प्रविष्टियों में लगने वाले समय को कम करने और समग्र दक्षता के बढ़ाने के लिए, आयोग डिजिटल उपकरणों का उपयोग करेगा, जिनसे ''वन-क्लिक अपलोड'' की सुविधा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीजेआई पर हमला करने वाले राकेश किशोर की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस पर बैन

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एडवोकेट राकेश किशोर की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी

- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए राकेश किशोर के घोर निंदनीय तथा अनुशासनहीन व्यवहार की कड़ी आलोचना की।
- बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने भी राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी।
- सूत्रों ने बताया कि 71 वर्षीय राकेश किशोर के खिलाफ फौजदारी अवमानना की कार्यवाही शुरु करने पर विचार किया जा रहा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर (71) की अस्थायी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है और उन्हें ''गंभीर दुर्व्यवहार'' का दोषी ठहराया है।

एससीबीए द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि सदस्य संख्या के-01029/ आरईएस दिनांक 27.07.2011 वाले राकेश किशोर की सदस्यता ''तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है और उनका नाम एसोसिएशन की सूची से हटा दिया जाएगा।''

प्रस्ताव, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, में कहा गया कि एक न्यायालय के अधिकारी (आफिसर ऑफ द कोर्ट) का ऐसा ''घृणित, अव्यवस्थित और असंयमित व्यवहार'' अनुचित और बार के सदस्यों से अपेक्षित अनुशासन के विपरीत है।

प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यदि किशोर को कोई एससीबीए सदस्यता कार्ड जारी किया गया है तो वह ''तुरंत रद्द और जब्त'' किया जाता है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को यह संदेश भेजा जाएगा कि उनका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रशांत किशोर ने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। पीढ़ियों से गणित की पाठ्यपुस्तकें लिखने वाले गणितज्ञ, पूर्व नौकरशाह, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और डॉक्टर, ये सब उन 51 उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिनकी घोषणा आज दोपहर प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी ने की। यह बिहार में अगले महीने

- इनमें 16 प्रतिशत मुसलमान तथा 17 प्रतिशत अतिपिछड़ा वर्ग से हैं।

होने वाले दो चरणों के चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी की पहली सूची है।

पहली सूची में 16 प्रतिशत उम्मीदवार मुसलमान हैं और 17 प्रतिशत अति पिछड़ी जातियों से आते हैं। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। इसलिए उम्मीदवारों के चयन में उनकी स्वच्छ छवि को प्रमुख मानदंड बनाया गया। किशोर ने चुनावी मुकाबले के लिए कई पूर्व नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को भी उम्मीदवार बनाया है।

'अपने सामान के साथ पासपोर्ट ही नहीं बल्कि खूब सारा धैर्य भी पैक करें'

अमेरिका जाने वाले यात्रियों को अब अनुभवी ट्रैवेल एजेंट्स यह नेक सलाह दे रहे हैं

- एक अक्टूबर से अमेरिकी सरकार में लागू शटडाउन में केवल आवश्यक सेवाएँ ही कार्यरत हैं, क्योंकि इन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मनचाही छुट्टी जाने का अधिकार नहीं है। यह कर्मचारी बिना तनख्वाह के दस-दस घंटे काम कर रहे हैं।
- इससे सभी सेवाएँ प्रभावित हुई हैं और सबसे ज्यादा हवाई यात्रा।
- इन कर्मचारियों की लंबी थकान से फ्लाइट सुरक्षा प्रभावित हो रही है। एक विशेषज्ञ के अनुसार, एयर ट्रैफिक बारीकी (प्रिसिशन) व मनोबल से चलता है और आप अनिश्चितता के वातावरण में काम कर रहे कर्मचारियों से, जिन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही, उतनी कार्यकुशलता की अपेक्षा नहीं कर सकते। फ्लाइट्स असुरक्षित ही नहीं, विलंबित भी होती जा रही हैं।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर निकलने वाले यात्रियों के लिए अव्यवस्था का सामना करना आम बात हो गई है। सातवें दिन में पहुंच चुके संघीय सरकार के शटडाउन (कामकाज बंदी) का असर अब वॉशिंगटन के राजनीतिक गतिरोध से कहीं आगे फैल चुका है -उड़ानों में बाधा, राष्ट्रीय उद्यानों पर दबाव, और छुट्टी पर होने वाली हजारों यात्राओं को अनिश्चितता में डाल दिया है। यह स्थिति एक अक्टूबर से तब शुरू हुई जब सांसद नई वित्तीय योजना पर सहमत नहीं हो पाए। इसके परिणामस्वरूप सरकार के बड़े हिस्से ठप हो गए हैं - लगभग 40 प्रतिशत संघीय कर्मचारी, यानी करीब 7.5 लाख लोग, बिना वेतन छुट्टी पर भेजे गए हैं।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाने वाला उड्डयन उद्योग इस संकट का शुरुआती शिकार बन गया है। हवाई यातायात नियंत्रक (एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स), जिन्हें ''जरूरी कर्मचारी'' घोषित किया गया है, उन्हें बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब थकान के संकेत दिखने लगे हैं। सोमवार, 6 अक्टूबर को, न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस के प्रमुख हवाई अड्डों पर स्टाफ की कमी के कारण 6,000 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं। लॉस एंजेलिस का हॉलीवुड बरबैंक एयरपोर्ट तो अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा क्योंकि सुरक्षा मानक बनाए रखना संभव नहीं था।

नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन (एनएटीसीए) ने कड़ा चेतावनी संदेश जारी करते हुए कहा है कि यह संकट ''आधुनिकीकरण की गति को धीमा कर सकता है'' और ''पूरे उड्डयन तंत्र की विश्वसनीयता और दक्षता को खतरे में डाल सकता है।'' संगठन के अध्यक्ष, रिच सैंटा ने कहा, ''कंट्रोलर्स से हफ्ते में 6 दिन दस-दस घंटे, काम करने को कहा जा रहा है - वो भी बिना वेतन। पिछली बार के शटडाउन में कई लोगों को परिवार का पेट पालने के लिए दूसरी नौकरी करनी पड़ी थी। ऐसे तनाव सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है।

फिर भी, कुछ मजबूती अब भी बनी हुई है। सिरियम नामक एविएशन एनालिटिक्स कंपनी के अनुसार, मंगलवार दोपहर तक अमेरिकी हवाई अड्डों से रवाना होने वाली 23,600 उड़ानों में से 92 प्रतिशत समय पर रवाना हुईं। लेकिन विश्लेषकों का कहना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को वादा किया कि राज्य के हर घर को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह वादा किसी

- तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा की और कहा, बिहार में कोई घर बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा।

भावनात्मक आधार पर नहीं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि यदि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है, तो राज्य के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सरकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो साल की बेरहम लड़ाई से तंग आकर अरब देशों ने शांति प्रस्ताव स्वीकार किया?

जैसा कि विदित ही है, इस लड़ाई में साठ हज़ार फिलिस्तीनी मारे गये थे और अंततोगत्वा फिलिस्तीनी भी हमास की इज़रायल से लगातार युद्ध की नीति से हताश हो गये हैं

- क्या अरब देशों ने अब इज़रायल के अस्तित्व को सामान्य व गैर तब्दील हो सकने वाला तथ्य मान लिया है।
- यह स्वीकार हो जाने के बाद इज़रायल के पास भी अब अरब देशों से लड़ने का कोई कारण नहीं बचा है।
- शांति प्रस्ताव की बाकी बारिकियाँ अभी तये हो रही हैं, पर प्रमुख बात यह है कि हमास अब तमाम इज़रायली बंधकों को रिहा करेगा और मृत बंधकों के शरीर भी इज़रायल को सौंपेगा। इज़रायल भी ढाई सौ फिलिस्तीनी, जो उसकी कैद में हैं, को छोड़ेगा। केवल उन कैदियों को जिन पर हत्या का आरोप है, उन्हें सीधे फिलीस्तीनियों को नहीं देगा, बल्कि किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करेगा। शांति वार्ता मिस्र की सीमा के पास हॉलिडे रिसॉर्ट शर्म अल शेख में हुई थी तथा तुर्की भी समझौते की बारिकियों को तय करने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा था।

-अंजल रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। इज़रायलियों की एक निहत्थी यहूदी बस्ती में हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए अपहरण और हत्या के बाद शुरू हुए इक्कीसवीं सदी के इस कुरुक्षेत्र में लगभग 60,000 गाज़ावासियों की मौत के साथ, अब यह ''युद्ध'' समाप्ति की ओर बढ़ता दिख रहा है।

आख़िरकार, गाज़ा में इज़रायल का गाज़ा में युद्ध खत्म होने जा रहा है। इस लंबे संघर्ष की भारी मानवीय और आर्थिक कीमत देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब अरब जगत इज़रायल के अस्तित्व को सामान्य और स्थायी रूप में स्वीकार करेगा और इज़रायल भी निरंतर टकराव की निरर्थकता को समझेगा।

जैसे ही इज़रायल की सरकार गाज़ा में युद्ध समाप्त होने की घोषणा करेगी, उग्रवादी संगठन हमास अपने कब्जे में रखे सभी इज़रायली बंधकों को रिहा कर देगा। मारे गए बंधकों के शव भी इज़रायल को सौंपे जाएंगे।

इसके बदले में, इज़रायल अपनी जेलों में बंद लगभग 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, उनके नामों पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। तथापि, इज़रायल ने स्पष्ट किया है कि जिन कैदियों को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया है, उन्हें गाज़ा प्रशासन को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि किसी तीसरे देश में भेजा जाएगा।

7 अक्टूबर के हमले के मुख्य सूत्रधार यह्या सिनवार और उनके भाई मोहम्मद सिनवार, जो यह्या की इज़रायल द्वारा हत्या के बाद हमास के नेता बने थे, के शव नहीं सौंपे जाएंगे।

हमास और फिलिस्तीनी पक्ष ने अमेरिका द्वारा तय की गई शर्तों और अमेरिकी गारंटी पर आधारित इस समझौते को स्वीकार कर लिया है।

युद्धरत पक्षों के बीच तनाव कम होने के बाद, गाज़ा का प्रशासन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक समूह करेगा, जो इसके पुनर्निर्माण और पुनर्वास की निगरानी करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रत्यक्ष नेतृत्व में काम करने के लिए एक ''बोर्ड ऑफ पीस'' (शांति परिषद) के गठन की वकालत की थी।

इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे, जिन्होंने मध्य पूर्व में अपने कार्यकाल के बाद से शांति प्रक्रिया पर व्यापक रूप से काम किया है। इसके अलावा, मध्य पूर्व के कुछ प्रमुख देशों के प्रतिनिधि भी गाज़ा के प्रशासन और पुनर्निर्माण में भाग लेंगे।

शांति समझौते के पहले चरण को स्वीकार किए जाने की घोषणा के बाद, इज़रायल और गाज़ा तथा फिलिस्तीन,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसएमएस में न्यूरो सर्जरी का एचओडी रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 9 अक्टूबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर मुख्यालय की एसआईयू टीम ने गुरुवार की रात को कार्रवाई करते हुए सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के

- डॉ. मनीष अग्रवाल एसएमएस मैडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल भी हैं।

अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत सिग्नेचर करने के एवज में मांगी गई थी। फिलहाल एसीबी उनके आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार

नागौर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की नागौर टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना पादूकलां जिला नागौर में तैनात सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुखराम को तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी नागौर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि पुलिस थाना पादूकलां में दर्ज प्रकरण में मुलजिम को गिरफ्तार करने एवं परिवादी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में पुलिस थाना पादूकलां का सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एएसआई) सुखराम पचास हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर एसीबी की टीम ने रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एएसआई) सुखराम की ओर से पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के ज्यादा जोर देने पर रिश्वत राशि उसकी इच्छा अनुसार देना तय किया गया। इस पर एसीबी टीम नागौर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुखराम को तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, करौली

क्रमांक-लेखा/निविदा/2025/1356 दिनांक-26.09.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 07/2025-26

राजस्व न्यायालयों में RRCMS प्रोजेक्ट लागू किये जाने हेतु जिला करौली के प्रत्येक राजस्व न्यायालय (जिला कलक्टर, अति. जिला कलक्टर, सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी) हेतु हार्डवेयर क्रय करने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता/विनिर्मित/थोक वितरक/अधिकृत डीलर/विपनन एजेन्ट फर्मो से अनुमानित राशि 21.00 लाख रूपये की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि का विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.nic.in, https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जाकर https://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा अपलोड की जा सकती है।

UBN NO.- CKL2526GLOB00012

DIPR/C/14739/2025

अतिरिक्त जिला कलक्टर, कलेक्ट्रेट करौली

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

Near Collector Office, Bikaner (Rajasthan) Fax :- 91-151-2226012, Phone :-91-151-2226012, 91-151-2226013

E-Mail Address:- uitbikaner@yahoo.co.in Web Site :- urban.rajasthan.gov.in/uitbikaner

क्रमांक - बीविप्रा./बीका/अ.अभि/2025-26/6534 दिनांक :- 03/10/2025

ई - बिड सूचना संख्या 38/2025-26

बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर की ओर से अखिल भारतीय स्तर, न्यास एवं राजकीय विभागों में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विद्युत कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने प्राप्त करने व खोलने की दिनांक एवं निविदा शर्तों आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in & www.urban.rajasthan.gov.in/uitbikaner** पर देखा जा सकता है।

(UBN No. :- ITB2526WSOB00256)

राज.संवाद/सी/25/11774 अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)

कृषि महाविद्यालय, लालसोट (दौसा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्रमांक :- भण्डार/कृमला/2025/693 दिनांक :- 08/10/2025

खुली निविदा सूचना

इस महाविद्यालय में फार्म के लिए सहायक उपकरणों सहित मोटर पम्प सैट, बोरवेल खुदाई एवं भूमिगत सिंचाई प्रणाली कार्य हेतु दिनांक 15.10.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित एवं उसी दिन 1.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तो की जानकारी प्रति निविदा इस महाविद्यालय से पांच सौ रु. जमा कराके प्राप्त की जा सकती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की वेबसाइट पर देखा जा सकती हैं। इन निविदाओं का **UBN No. SKN2526WSOB00251** है।

राज.संवाद/सी/25/11777 अधिष्ठाता

Rajasthan State Forest Development Corporation Limited

(A Government of Rajasthan Undertaking) Badopal Road, GFC Colony, Suratgarh, Phone No: 01509-223326 , Email-gmsuratgarh@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ8(9)स्टोर/मप्र/राराववनिलिसू/2025-26/1133 दिनांक :- 06/10/2025

CORRIGENDUM-1

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की ई–बोली आमन्त्रण सूचना 2/2025–26 क्रमांक 1102–1107 दिनांक 29.09.2025 को प्रकाशित की गयी थी जिसकी Percentage BOQ के Sl.No. 3.01 के कॉलम संख्या 02 में **''जलाऊ लकड़ी गीली''** के स्थान पर **''बिना छाल उतारकर''** पढ़ा जावे। शेष बोली की शर्ते एवं समय यथावत रहेंगे।

NIB No. FOR2526A1760

UBN No. FOR2526WLOB02321

महाप्रबंधक
राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय, सूरतगढ़

राज.संवाद/सी/25/11781

कार्यालय नगर पालिका लोसल (सीकर)

क्रमांक : न. पा. लो./2025–26/2481 दिनांक :– 07.10.2025

ई–निविदा सूचना 04/2024–25

नगरपालिका मण्डल लोसल द्वारा वार्षिक कार्यो के अन्तर्गत कार्य करवाये जाने हेतु सक्षम पंजीकृत संवेदको से तकनीकी व वितीय (दो लिफाफा पद्वति) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डरिंग के माध्यम से ऑन लाईन निविदायें दिनांक 10.10.2025 से 27.10.2025 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते http://eproc.rajasthan.gov.in व http://sppp.raj.nic.in तथा पालिका कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखी जा सकती है। जिसके एन.आई.बी कोड़ – **DLB2526A6896** व यु.बी.एन. नम्बर निम्नानुसार है:–

UBN No. - DLB2526SLOB20899, DLB2526SLOB20900, DLB2526SLOB20901, DLB2526SLOB20902, DLB2526SLOB20904, DLB2526SLOB20908, DLB2526SLOB20905, DLB2526SLOB20911

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका लोसल

राज.संवाद/सी/25/11746

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान

E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419

क्रमांक :–न.प.सु/विकास/2025/6849 दिनांक :– 07.10.2025

निविदा सूचना – 2025

नगर परिशद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मस से निविदा दिनांक 17.10.2025 को 12.00 बजे तक विक्रय की जाकर 1.00 बजे तक प्राप्त कर तथा दिनांक 22.10.2025 को सायं 5.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी । उक्त निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट **www.sppp.raj.gov.in** पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक :– **DLB2526GLOB20860** कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिशद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर परिषद सुजानगढ

राज.संवाद/सी/25/11788

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/168 - 170 Date :- 07/10/2025

ई-निविदा सूचना संख्या : 47/2025-26

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा कार्यो की कुल लागत	रूपये 519.61 लाख (10 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	09.10.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 27.10.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	09.10.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 27.10.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	28.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट **urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in** व **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2526WSOB00293 To ITU2526WSOB00302

अधिशाषी अभियन्ता - द्वितीय
उदयपुर विकास प्राधिकरण

राज.संवाद/सी/25/11771

कार्यालय नगर परिषद् प्रतापगढ़, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :–न.प.प्र./स्टोर/2025/8577 दिनांकः 04.10.2025

ई टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या:– 20/2025–26

नगर परिषद द्वारा राजस्थान सरकार के एवं केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदको एवं अन्य समकक्ष इच्छुक संगठन जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समकक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं टू बिड प्रणाली अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण इंटरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदा में कुल कार्य	3
निविदा की कुल लागत	49.64 लाख
ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने की दिनांक	दिनांक 05.10.2025 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.10.2025 सांय 5.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की दिनांक	दि. 15.10.2025 प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाने की दिनांक	दि. 16.10.2025 प्रातः 10:00 बजे से सायः 12.00 बजे तक
ऑनलाईन तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक	दि. 17.10.2025 प्रातः 11.00 बजे
ऑनलाईन फाईनेशियल निविदा खोलने की दिनांक	दि. तकनिकी उपरान्त प्रातः 11.00 बजे

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट http://sppp.rajasthan.gov.in/tender.asp तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

ईच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

UBN NO. DLB2526WSOB20856, 20862, 20868

सभापति नगर परिषद् प्रतापगढ़ (राज.) आयुक्त नगर परिषद् प्रतापगढ़ (राज.)

राज.संवाद/सी/25/11799

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड CIN No: U40109RJ2000SGC016486

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड CIN No: U40109RJ2000SGC016482

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड CIN No: U40109RJ2000SGC016483

वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु:–

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए अपने आदेश दिनांक 03.10.2025 के द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नया आदेश, दिनांक 01.10.2025 से प्रभावी होगा। विस्तृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश निगमों की वेबसाईट https://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, https://energy.rajasthan.gov.in/avvnl, https://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl एवं माननीय आरईआरसी की वेबसाईट https://rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है:–

- माननीय आरईआरसी का उद्देश्य एक लागत–प्रतिबिंबित टैरिफ स्थापित करना है जो बिजली वितरण कि लागत को सटीक रूप से दर्शाता हो और एक निष्पक्ष एवं समतापूर्ण मूल्य निर्धारण संरचना सुनिश्चित करे। टैरिफ संरचना उपभोक्ताओं और डिस्कॉम दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित और न्यायोचित होनी चाहिए। माननीय आरईआरसी ने ईवी और ट्रैक्शन टैरिफ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा शुल्क एवं स्थाई शुल्क में संशोधन को मंजूदी दी है।
- सभी श्रेणियों के ऊर्जा शुल्क कम कर दिए गए हैं। 150 यूनिट तक मासिक खपत वाले सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी स्थाई शुल्क कम कर दिए हैं।
- कृषि मीटर वाले उपभोक्ताओं का राहत और सहायता प्रदान करने के लिए कृषि श्रेणी के लिए टैरिफ दरों को कम कर दिया गया है।
- विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 के प्रावधानों के मद्देनजर, माननीय आरईआरसी ने कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, 10 किलोवाट (10 KW) से अधिक कनेक्टेड लोड वाले सभी उपभोक्ताओं पर टीओडी (TOD) टैरिफ को मंजूरी दी है।
- एमआईपी और एलआईपी श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए नए एचटी उद्योग के लिए मौजूदा छूट और वृद्धिशील उपभोग छूट में भी संशोधन किया गया है।
- ग्रीन पावर टैरिफ को 0.21 रूपये/किलोवाट घंटा (Rs.0.21/kWh) से घटाकर 0.05 रूपये/किलोवाट घंटा (Rs.0.05/kWh) कर दिया गया है, जो कि वर्तमान टैरिफ आदेश के अनुसार संबंधित श्रेणी के सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त है। यह शुल्क डिस्कॉम से ग्रीन पावर विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा।
- वित वर्ष 2025–26 के इस टैरिफ ऑर्डर में व्हीलिंग शुल्क और क्रॉस–सब्सिडी शुल्क कम कर दिए गए है।
- वित्त वर्ष 2025–26 के लिए एचटी सीपीपी (Co-Located) उपभोक्ताओं पर समानांतर संचालन शुल्क (POC) स्वीकृत किया गया है।
- टैरिफ विनियम, 2025 के विनियम 91 के प्रावधानों के मद्देजर, आयोग ने विनियामक अधिभार लगाने को मंजूरी दे दी है। और किसी भी टैरिफ आघात से बचने के लिए इसे एफपीपीएएस, जो आरईआरसी टैरिफ विनियम 2025 के विनियम 87 के अनुसार लगाया जाता है, के साथ जोड़ दिया गया है। जो कि 100 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0.70 रूपये/यूनिट और अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 1.00 रूपये/यूनिट है।

वर्ष 2025–26 के लिये अनुमोदित टैरिफ

घरेलू श्रेणी (एल.टी–1 एवं एच.टी–1)

घरेलू श्रेणी – मौजूदा टैरिफ: विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	घरेलू श्रेणी – अनुमोदित टैरिफ: विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू *			बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू *		
प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

* नोट : बीपीएल और आस्था कार्ड धारक की घरेलू टैरिफ एकल उपभोक्ता पर ही लागू होगी और यह किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। यदि बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू उपभोक्ता किसी बिलिंग चक्र में 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर उपभोग करते है तो उपभोक्ता पर घरेलू श्रेणी एलटी–1 के अन्तर्गत अतिरिक्त यूनिटों के उपभोग पर सम्बन्धित स्लेब लागू होगी।

सामान्य घरेलू–1

मौजूदा टैरिफ – सामान्य घरेलू–1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – सामान्य घरेलू–1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	250 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू–2

मौजूदा टैरिफ – सामान्य घरेलू–2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – सामान्य घरेलू–2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू–3

मौजूदा टैरिफ – सामान्य घरेलू–3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – सामान्य घरेलू–3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	400 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	500 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रू प्रति यूनिट				

सामान्य घरेलू–4

मौजूदा टैरिफ – सामान्य घरेलू–4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – सामान्य घरेलू–4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	450 रू प्रति कनेक्शन प्रति माह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	800 रू प्रति कनेक्शन प्रति माह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रू प्रति यूनिट				
(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.95 रू प्रति यूनिट		(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.50 रू प्रति यूनिट	

घरेलू श्रेणी (एच.टी–1)

मौजूदा टैरिफ – एच.टी घरेलू (एच.टी–1): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – एच.टी घरेलू (एच.टी–1): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
50 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा स्वीकृत मांग	7.15 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 275 रू प्रति के.वी.ए.	50 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा स्वीकृत मांग	6.50 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 300 रू प्रति के.वी.ए.

अघरेलू श्रेणी (एल.टी–2 एवं एच.टी.–2)
अघरेलू 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार
(अघरेलू टाईप–1)

मौजूदा टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–1): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–1): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	330 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	350 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

(अघरेलू टाईप–2)

मौजूदा टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–2): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–2): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	330 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	350 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	

(अघरेलू टाईप–3)

मौजूदा टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 200 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–3): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 200 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–3): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	420 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	450 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट				

(अघरेलू टाईप–4)

मौजूदा टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप–4): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – एल.टी - अघरेलू (एल.टी–2) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप–4): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	500 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	700 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट				
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.95 रू प्रति यूनिट				

अघरेलू – 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार,

मौजूदा टैरिफ – अघरेलू 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार(एल.टी–2): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – अघरेलू 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार(एल.टी–2): विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 150 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह	100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 160 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.85 रू प्रति यूनिट				
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.95 रू प्रतियूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 165 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 300 रू प्रति के.वी.ए. (यदि स्वीकृत सम्बंद्व भार18.65 किलोवाट से अधिक है तो)	500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.50 रू प्रतियूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 200 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 320 रू प्रति के.वी.ए. (यदि स्वीकृत सम्बंद्व भार 18.65 किलोवाट से अधिक है तो)

अघरेलू 50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग

मौजूदा टैरिफ – एच.टी - अघरेलू (एच.टी -2): 50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – एच.टी - अघरेलू (एच.टी -2): 50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
सम्पूर्ण यूनिट	8.85 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	सम्पूर्ण यूनिट	8.50 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 320 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

पी.एस.एल श्रेणी (एल टी–3)

मौजूदा टैरिफ – पी.एस.एल	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – पी.एस.एल	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
1 लाख से कम जनसंख्या	7.55 रू प्रति यूनिट	130 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 1300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)	1 लाख से कम जनसंख्या	7.00 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह
1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या	8.10 रू प्रति यूनिट	160 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 3120 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)	1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या	7.50 रू प्रति यूनिट	200 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह

कृषि मीटर्ड श्रेणी (मीटर्ड और फ्लेट रेट) (एल टी–4)

मौजूदा टैरिफ – कृषि सप्लाई	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – कृषि सप्लाई	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
मीटर्ड (एजी/एमएस(एल टी–4)			मीटर्ड (एजी/एमएस(एल टी–4)		
(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	5.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	5.25 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	7.10 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	7.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
फ्लेट / अमीटर्ड (एजी/ एफआर(एल टी–4)			फ्लेट / अमीटर्ड (एजी/ एफआर(एल टी–4)		
(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	745 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	745 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	895 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	895 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह

लघु औघोगिक श्रेणी (एल टी–5)

मौजूदा टैरिफ – लघु औघोगिक सेवा (एल.टी.–5) (18.65 किलोवाट (25 एच.पी) से अधिक भार नहीं,)	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – लघु औघोगिक सेवा (एल.टी.–5) (18.65 किलोवाट (25 एच.पी) से अधिक भार नहीं,)	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
500 यूनिट तक उपभोग	6 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 90 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	500 यूनिट तक उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 90 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
500 यूनिट से ऊपर का उपभोग	6.45 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 120 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	500 यूनिट से ऊपर का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 150 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह

मध्यम औघोगिक श्रेणी (एल टी–6 और एच टी–3)

मौजूदा टैरिफ – विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
मध्यम औघोगिक सेवा (एल.टी–6)	7.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 130 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 255 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मध्यम औघोगिक सेवा (एल.टी–6)	6.50 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 150 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 275 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
मध्यम औघोगिक सेवा (एच.टी–3)	7.00 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 255 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मध्यम औघोगिक सेवा (एच.टी–3)	6.50रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 275 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

मिक्स लोड श्रेणी बल्क सप्लाई (एल टी–7 और एच टी–4)

मौजूदा टैरिफ – विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
मिक्स लोड सेवा (एल.टी–7)	8.05 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 115 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 240 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मिक्स लोड सेवा (एल.टी–7)	7.50 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 150 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
मिक्स लोड सेवा (एच.टी–4)	8.05 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 240 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मिक्स लोड सेवा (एच.टी–4)	7.50 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

वृहद औघोगिक श्रेणी (एच टी–5)

मौजूदा टैरिफ – विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार (कुल उपभोग पर)	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – विशिष्टियॉं	ऊर्जा प्रभार (कुल उपभोग पर)	स्थाई प्रभार
(A) स्वीकृत संबद्व भार 150 एच.पी. से अधिक और/ या अधिकतम अनुबंधित/अधिकतम मांग 125 के.वी.ए. से ऊपर	7.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	(A) स्वीकृत संबद्व भार 150 एच.पी. से अधिक और/ या अधिकतम अनुबंधित/अधिकतम मांग 125 के.वी.ए. से ऊपर	6.50 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 380 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
(B) ऐसे उपभोक्ता जिनकी बिलिंग डिमांड 1 एम.वी.ए. अथवा उससे अधिक है और लोड फेक्टर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है	6.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 300 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह			

वृहद् औद्योगिक श्रेणी के लिये वोल्टेज वार अनुमोदित टैरिफ*

मौजूदा टैरिफ (स्वीकृत सम्बद्व भार 150 एचपी से ऊपर या 125 कवीए से अधिक अनुबंधित / अधिकतम मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज वार *): वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ (स्वीकृत सम्बद्व भार 150 एचपी से ऊपर या 125 कवीए से अधिक अनुबंधित / अधिकतम मांग वाले उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज वार *): वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
11 केवी	7.300 रू प्रति यूनिट	बिलिंग मांग का 300 रू. प्रति केवीए प्रति माह	11 केवी	6.50 रू प्रति यूनिट*	बिलिंग मांग का 380 रू. प्रति केवीए प्रति माह
33 केवी	7.081 रू प्रति यूनिट				
132 केवी	7.008 रू प्रति यूनिट				
220 केवी	6.935 रू प्रति यूनिट				
ऐसे उपभोक्ता जिनकी बिलिंग डिमांड 1 एम.वी.ए. अथवा उससे अधिक है और लोड फेक्टर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, के लिए वोल्टेज वार *					
वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार			
11 केवी	6.300 रू प्रति यूनिट	बिलिंग मांग का 300 रू. प्रति केवीए प्रति माह			
33 केवी	6.111 रू प्रति यूनिट				
132 केवी	6.048 रू प्रति यूनिट				
220 केवी	5.985 रू प्रति यूनिट				

* वृहद औघोगिक श्रेणी के लिये कोई अन्य वॉल्टेज छूट प्रयोज्य नहीं होगी।

- अनुमोदित टैरिफ पर वोल्टेज छूट वित्त वर्ष 2025–26 के लिए टैरिफ आदेश दिनांक 3.10.2025 में दिए गए विवरण के अनुसार लागू होगी।

वॉल्टेज छूटः– 11 केवी पर आपूर्ति के लिए अनुबंधित मांग–आधारित टैरिफ लागू है। यदि बड़े औद्योगिक श्रेणी सहित कोई भी उपभोक्ता नीचे उल्लेखित वोल्टेज पर आपूर्ति लेता है या देता है, तो उसे मासिक ऊर्जा शुल्क पर निम्नलिखित छूट दी जाएगी।

वोल्टेज स्तर	वॉल्टेज छूट
33 केवी	3%
132 केवी	4%
220 केवी	5%

न्यूनतम ऊर्जा प्रभार

मौजूदा टैरिफ – वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार
11 केवी	6.00 रू प्रति यूनिट	11 केवी	6.00रू प्रति यूनिट
33 केवी	5.82रू प्रति यूनिट	33 केवी	
132 केवी	5.76रू प्रति यूनिट	132 केवी	
220 केवी	5.70रू प्रति यूनिट	220 केवी	

विद्युत चलित वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन (एल टी –8 और एच टी –6)

मौजूदा टैरिफ – श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन (एल टी –8)	6.00 रू. प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 45 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन (एल टी –8)	6.00 रू. प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 45 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन (एच टी –6)	6.00 रू. प्रति यूनिट	150 रू. प्रति केवीए प्रति माह	सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन (एच टी –6)	6.00 रू. प्रति यूनिट	150 रू. प्रति केवीए प्रति माह

ट्रैक्शन लोड (एच टी–7)

मौजूदा टैरिफ – श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुमोदित टैरिफ – श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
ट्रैक्शन लोड (एच टी–7)	5.70 रू. प्रति यूनिट	बिलिंग मांग का 150 रू. प्रति केवीए प्रति माह	ट्रैक्शन लोड (एच टी–7)	5.70 रू. प्रति यूनिट	बिलिंग मांग का 150 रू. प्रति केवीए प्रति माह

टाइम ऑफ डे (TOD) छूट और अधिभार (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू)

स्लॉट्स	6:00 AM से 8:00 AM (2 घंटे) ऊर्जा शुल्क पर अधिभार	12:00 PM से 4:00 PM (4 घंटे) ऊर्जा शुल्क पर छूट	6:00 PM से 10:00 PM (4 घंटे) ऊर्जा शुल्क पर अधिभार
टाइम ऑफ डे (TOD)	5%	10%	10%

अन्य टैरिफः

(अ) व्हीलिंग शुल्क

वोल्टेज स्तर	मौजूदा टैरिफ(रू./यूनिट)	अनुमोदित टैरिफ(रू./यूनिट)
132 केवी और उससे ऊपर	0.01	0.01
33 केवी	0.13	0.12
11 केवी	0.74	0.62

(ब) क्रॉस सब्सिडी प्रभार

ओपन एक्सेस उपभोक्ता श्रेणी	वोल्टेज	मौजूदा टैरिफ (रू./यूनिट)	अनुमोदित क्रॉस सब्सिडी प्रभार (रू./यूनिट)
अघरेलू	11 केवी.	1.59	1.58
	33 केवी.	1.59	1.58
	132 केवी. और उससे ऊपर	1.59	1.58
मिक्स लोड/बल्क सप्लाई	11 केवी.	1.59	1.58
	33 केवी.	1.59	1.58
	132 केवी. और उससे ऊपर	1.59	1.58
वृहद् उद्योग	11 केवी.	1.59	1.58
	33 केवी.	1.59	1.58
	132 केवी. और उससे ऊपर	1.59	1.58

(स) अतिरिक्त सरचार्ज

	मौजूदा टैरिफ(रू./यूनिट)	अनुमोदित (रू./यूनिट)
अतिरिक्त सरचार्ज	0.53	0.72

(द) हरित टैरिफ

	मौजूदा टैरिफ(रू./यूनिट) सामान्य टैरिफ से अधिक	अनुमोदित (रू./यूनिट) सामान्य टैरिफ से अधिक
हरित टैरिफ (Green Tariff)	0.21	0.05

विनोद जाखड़ को रिहा करने की मांग

सूरतगढ़, (कासं)। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर सूरतगढ़ एडीएम दीनानाथ बब्बल को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

सूरतगढ़ एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया, गगन वीडिंग और यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता योगेश मेघवाल भी मौजूद रहे। योगेश मेघवाल ने प्रशासन से कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 30 सितम्बर को आएसएस द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने राजस्थान में शिक्षा और लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय परिसर में शस्त्र पूजन को शिक्षा के मंदिर में अनुचित और डर का माहौल पैदा करने वाला बताया।

शिविर में आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने गुरूवार को राजेडू में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पूर्ण गंभीरता से कार्य करने तथा आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने शिविर में लगाये गए स्टाल्स का अवलोकन किया। इनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली। आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को भी नियमित जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिविरों का पूर्व प्रचार करें तथा सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में अधिकारियों ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया। वृष्णि ने आंगनबाड़ी केन्द्र में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों को वेलकम किट दी।

> ■ कलेक्टर ने शिविर में लगाये गए स्टाल्स का अवलोकन किया। इनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित गोद भराई की रस्म में भागीदारी निभाई। उन्होंने यहां पौधारोपण भी किया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, श्रीडूंगरगढ़ उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा, तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

वहीं पूगल पचांयत समिति की ग्राम पंचायत कुम्हारवाला और गंगाजली में गुरूवार को ग्रामीण सहायता शिविर आयोजित किया। उपखण्ड अधिकारी दिव्या बिश्नोई ने इसका अवलोकन किया। जन समस्याएं सुनी तथा मौके पर इनका निस्तारण किया।

शिविर के दौरान पचांयती राज द्वारा 6 खाता विभाजन किए गए। इनमें हक नवाज पुत्र शरीफ के 11 लोगों के बीच खाता विभाजन हुआ। इनके बीच 20-25 वर्षों से विवाद चल रहा था। जिया उल हक को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। कृषि विभाग की तरफ से 165 से अधिक सरसों बीज किट का वितरण, पशुपालन विभाग की ओर से मंगला बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से गोद भराई और अन्नप्राशन उत्सव मनाया गया।

ग्राम बम्बलू में स्वच्छता कार्यक्रम: यूनिवर्सिटी-सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर द्वारा गोद लिए गांव बम्बलू में ग्राम पंचायत कार्यालय में गुरूवार को स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वेटरनरी महाविद्यालय बीकानेर की सोशल रिस्पांसिबिलिटी समन्वयक डॉ. प्रियंका कडेला ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों तथा अन्य विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान किया गया तथा ग्राम वासियों के मध्य संदेश दिया गया कि सभी ग्राम वासियों को मिलकर अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर ग्राम सरपंच प्रतिनिधि हेतराम कूंकणा, ग्राम विकास अधिकारी (बम्बलू) रामदेव मंडा, मनोज कुमार एवं अन्य ग्राम वासियों का भी सहयोग रहा।

आम से भरा ट्रक बेचकर 6.59 लाख हड़पे

श्रीगंगानगर, (कासं)। ब्रोकर ने फल व्यापारी से बैंगलुरू से आम से भरा ट्रक मंगाया। इसके बाद व्यापारी को जानकारी दिए बिना 6.59 लाख में पूरा माल आगे बेच दिया। व्यापारी ने पैसे मांगे तो देने से इनकार कर दिया। मामला श्रीगंगानगर का है। फल व्यापारी ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। फल व्यापारी हरित बंसल सदर थाना इलाके के सीजीआर मॉल इलाके का रहने वाला है। व्यापारी ने जिला एसपी को आरोपी ब्रोकर के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद सदर थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि शहर के रीको इलाके के उद्योग विहार में उसकी कुकी फ्रूट्स कंपनी एंड वैक्सिंग के नाम से फर्म है। वह किन्नू वैक्सिंग और फ्रूट्स का व्यापार करता है। आरोपी ब्रोकर गुलशन कुमार से व्यापार के दौरान जान-पहचान हुई। गुलशन माल खरीदकर आगे बेचता है। मई 2025 में गुलशन ने एक ट्रक आम मंगवाए। कहा कि माल को रोहताश स्वामी की दुकान नंबर-11 पर बेचकर पैसे दूंगा। मेरे बेटे ने बैंगलुरू से 1248 कैरेट आम का ट्रक मंगवा लिया। 26 मई को ट्रक श्रीगंगानगर पहुंचा। तब वह परिवार के साथ तिरुपति गया हुआ था। मेरी गैर मौजूदगी में गुलशन ने तय दुकान पर माल न बेचकर पंजाब फ्रूट (गंगानगर), हरियाणा फ्रूट कंपनी (डबवाली), स्वास्तिक फ्रूट कंपनी (मलोट) और अन्य जगहों पर बेच दिया।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक:- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 09/10/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 15 गुणा 35'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री बलराम पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री बलराम पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 15 गुणा 35'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नही होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/RajKaj Ref No.: 18195735 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08-10-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 21 में भूखण्ड का माप 15''गुणा 50'-0'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्रीमती माया देवी पत्नी संजय कुमार निवासी मकान 29, गली नं. 13, वार्ड नं. 18 सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपति हो तो वह अपनी आपति मय सबूत आपति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती माया देवी पत्नी संजय कुमार निवासी मकान 29, गली नं. 13, वार्ड नं. 18 सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 21 में भूखण्ड का माप 15''गुणा 50'-0'' फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 18195735 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

लोक सूचना

क्रमांक : LU2012/SGN/2025-26/101445 दिनांक : 9-10-2025

मैसर्स गुंजन गोयल प्रो. श्रीमती गुंजन गोयल पत्नी श्री पियुष गोयल निवासी मकान नं. 1-ए-09 सेक्टर नं. 01, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं. / भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	मैसर्स गुंजन गोयल प्रो. श्रीमती गुंजन गोयल पत्नी श्री पियुष गोयल	चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 72 के किला नं. 21 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 22 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 23 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 24 / 2 में 0.1699 हैक्टे. कुल 0.9289 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नं. 73 के किला नं. 24 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 25 में 0.2530 हैक्टे. कुल 0.506 हैक्टेयर यथाकुल 1.4349 हैक्टेयर	कुल 1.4349 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A for Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 9-10-2025 को जारी की गई। RajKaj Ref No.: 18193655 - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

पीडब्लयूडी का इलेक्ट्रिक डिवीजन दो अभियंताओं के भरोसे !

बीकानेर, (कासं)। सरकारी भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्लयूडी की होती है, लेकिन विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण कोई काम समय पर नहीं हो पाता। हालात ये है कि विभाग का इलेक्ट्रिक डिवीजन मात्र दो अभियंताओं के भरोसे चल रहा है। यही कारण है कि पीबीएम हॉस्पिटल सहित सरकारी हॉस्पिटलों में फायर सिस्टम को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई।

पीडब्लयूडी के इलेक्ट्रिक डिवीजन में एक एईएन और एक जेईएन ही हैं। एक्सईएन शैलेष पाठक का प्रमोशन होने पर जोधपुर तबादला हो गया है। अब एईएन के पास ही एक्सईएन और एसई का भी अतिरिक्त चार्ज है। इसके अलावा डिवीजन में एक मंत्रालयिक कर्मचारी और चपरासी है। तकनीकी कर्मचारियों के दो ही पद बचे हैं वह भी खाली हैं। बेलदार एक भी नहीं है। पिछले 15-20 सालों में जैसे-जैसे

> ■ तकनीकी कर्मचारियों के पद समाप्त, निगम से मांगी मदद

पद खाली हुए समाप्त होते गए। अब पूरा काम ठेकेदारों के भरोसे चल रहा है। पीबीएम हॉस्पिटल की 85 साल पुरानी बिल्डिंग की मेंटिनेंस और रिपेयरिंग का काम पीडब्लयूडी के पास है, लेकिन सभी काम ठेके पर हो रहे हैं। यही वजह है कि हॉस्पिटल में फायर सिस्टम लगाने के लिए विभाग ने कभी गंभीरता से प्रयास ही नहीं किए। जयपुर एसएमएस हादसे के बाद फायर सिस्टम की याद आई तो नगर निगम की ओर देखना पड़ रहा है। पीडब्लयूडी ने अग्निशमन अधिकारियों से मदद मांगी है। पीबीएम हॉस्पिटल ने पीडब्लयूडी से फायर सिस्टम का ब्लू प्रिंट मांगा है। दरअसल पीडब्लयूडी के इलेक्ट्रिक डिवीजन ने फायर सिस्टम लगाने के लिए तखमीना बनाने का काम शुरू कर दिया है। पीबीएम में आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी डॉ. गौरीशंकर जोशी ने कहा है कि नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी की मदद से ब्लू प्रिंट बनाया जाए। उसी के आधार पर टेंडर लगाया जायेगा। एसपी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध पीबीएम हॉस्पिटल के हल्दीराम मूलचंद हार्ट हॉस्पिटल, 16 नंबर ओपीडी ब्लॉक, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और नई मेडिसिन विंग में ही फायर सिस्टम लगा हुआ है। नई मेडिसिन विंग अभी हैंडओवर नहीं हुई है। इसे छोड़ दिया जाए तो बाकी तीन बिल्डिंगों में फायर सिस्टम काम कर रहा है या नहीं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पीडब्लूयूडी इलेक्ट्रिक डिवीजन के एईएन पीयूष सिंह ने बताया कि फायर सिस्टम की जांच की जाएगी। खराब पाए गए तो उनकी मरम्मत भी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में भी फायर सिस्टम की जांच की गई है।

अवैध प्लॉट काटकर बेचे, केस दर्ज

बीकानेर, (कासं)। मुक्ताप्रसाद नगर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला की खातेदारी कृषि भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से भूखंड काटकर बेच दिए। महिला ने मुकदमा दर्ज कराया।

जस्सूसर गेट निवासी 65 वर्षीय नवलखी देवी पत्नि मोहनलाल राठी की ओर से एमपी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चकगर्बी में मेरी खातेदारी की कृषि भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसमे करीब 4.5 बीघा पक्की भूमि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निकट स्थित है। जिसके राजस्व खसरा नंबर 163, 1042/365, 165 उपनिवेशन खसरा नंबर 751 है। पीड़िता का आरोप है कि चन्द्रप्रकाश, बुलाकी गहलोत, ईश्वर दयाल, शंकलाल एवं अन्य लोगों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर उसकी भूमि के कुछ हिस्से पर प्लॉट काटकर बेच दिया। आरोपियों ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बेच दी है।

मंडी व्यापारियों व किसानों का विवाद सुलझा

रायसिंहनगर, (कासं)। अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच दो दिन से चला आ रहा विवाद सुलझ गया।

मंडी समिति सचिव विमल बिश्नोई की सक्रिय मध्यस्थता के बाद कृषि उपज मंडी समिति में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, जिससे मंडी में व्यापार फिर से सुचारू हो गया। इस समझौते से किसान, व्यापारी और मजदूर सभी ने राहत की सांस ली है। विवाद को सुलझाने के लिए मंडी समिति में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। शुरूआत में गरमा-गरमी का माहौल था। जब एक व्यापारी ने किसान संघ के प्रतिनिधि पर सवाल उठाए, जिससे किसान और व्यापारी आमने-सामने आ गए। हालांकि अधिकारियों के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई और सचिव बिश्नोई ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों से संवाद स्थापित किया।

सहमति के मुख्य बिन्दुओं में अब मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे

> ■ किराए की दुकान पर नीलामी नहीं की जायेगी, सुबह 11 बजे से होगी नीलामी

तक होगी। साथ ही किसान की फसल को बिना मंडी नीलामी के बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीलामी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए समिति द्वारा निगरानी बढ़ाई जायेगी। किराए की दुकान पर नीलामी नहीं की जायेगी। हड़ताल करने से पहले इसकी सूचना मंडी समिति में देना अनिवार्य होगा। नीलामी बंद होने से पहले संबंधित दुकान की पूरी नीलामी करवाकर, आगे की दुकान की जिंस की एक ढेरी की नीलामी करवाकर बंद की जायेगी। भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में पहले आपसी संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया गया। इस फैसले से मंडी में काम फिर से शुरू हो गया है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4411 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08.10.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजबख्श मक्कड़ निवासी म.नं. 105-ए सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 40/45 किला नं. 13/14 भूखंड माप 20 इंटु 53 फीट भू.सं. ए-105 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 2383 दिनांक 25.08.2003 को श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री नानक चंद के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री पवन कुमार द्वारा उक्त भूखंड को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.01.2019 के द्वारा प्राप्त कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजबख्श मक्कड़ निवासी म.नं. 105-ए सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/748 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4415 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08.10.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी चक 5 जीबीए, तहसील श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 33 किला नं. 23 भूखंड माप 30 इंटु 65 फीट भू.सं. आई-03 शालीमार बाग, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 4034 दिनांक 25.08.2006 को श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार धमीजा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री तरसेम सिंह द्वारा उक्त भूखंड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.9.2025 के द्वारा प्राप्त कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी चक 5 जीबीए, तहसील श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/761 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक- LU2012/SGN/2025-26/101440 **लोक सूचना** दिनांक- 07.10.2025

श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री बलराम निवासी वार्ड नं. 14, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	चक 3 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री बलराम	चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 06 के किला नं. 3/6 में 0.0380 हैक्टे. किला नं. 8/3 में 0.0633 हैक्टे. यथाकुल 0.1013 हैक्टेयर	कुल 0.1013 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

बारिश से फसल नुकसान के मुआवजे की मांग

नोखा, (कासं)। नोखा उपखण्ड क्षेत्र में अतिवृष्टि और चक्रवाती बरसात से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर युवा किसान नेता मगनाराम केड़ली के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को दिया गया।

ज्ञापन में केड़ली ने बताया कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि और चक्रवाती बरसात से प्रदेश भर में किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों ने कर्ज लेकर फसलें बोई थीं, लेकिन पकने के समय हुई इस बारिश से खड़ी और कटी हुई दोनों तरह की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

संभागीय आयुक्त को घग्घर में छोड़े जा रहे पानी की समस्या से अवगत करवाया

श्रीगंगानगर, (कासं)। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में जारी ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर का सूरतगढ़ क्षेत्र में संभागीय आयुक्त बीकानेर विश्राम मीणा द्वारा गुरूवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त द्वारा निरीक्षण करते हुए अब तक की प्रगति और शिविर में उपलब्ध करवाई जा रही विभागीय सेवाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपखण्ड सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत करडू में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचकर संभागीय

> ■ अधिकारियों को दिये आमजन को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश

आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शिविरों के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाई जाये। उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हुए मौके पर ही कार्यों को पूर्ण करें।

इस अवसर पर टिब्बा क्षेत्र के किसानों ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम दिलवाने की मांग करते हुए घग्घर में छोड़े जा रहे पानी की समस्या से अवगत करवाया। मौके पर ही संभागीय आयुक्त द्वारा एडीएम सूरतगढ़ सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाहियों के लिये निर्देशित किया गया। इसी प्रकार वार्ड नम्बर 15 स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर संभागीय आयुक्त द्वारा अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली गई। शिविर में उन्होंने परिवादियों द्वारा बताई जा रही समस्याओं का निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र को योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। शिविर में उन्होंने लाभार्थियों में पट्टे भी वितरित किये। शिविरों के दौरान एडीएम दीनानाथ बबल, एसडीएम भारत जयप्रकाश मीणा, तहसीलदार विनोद कड़वासरा, पंचायत समिति विकास अधिकारी मेजर अली सहित अन्य मौजूद रहे।

नये एचटी-उद्योग छूट और वृद्धीशील उपभोग छूट		
नये उद्योग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)
वृद्धीशील उपभोग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)

एचटी सीपीपी (Co-Located) उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले पीओसी शुल्क निम्नानुसार हैं:-

सीपीपी प्रकार	पीओसी शुल्क (रू./केवीए/माह)
परम्परागत सीपीपी	रु. 27.237/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
अक्षय ऊर्जा सीपीपी	रु. 11.90/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
हाइब्रिड सयंत्र	उपर्युक्त दोनों परम्परागत और अक्षय ऊर्जा के अनुपात में

1. नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों को समानांतर संचालन शुल्क (पीओसी) से बाहर रखा जाएगा।
2. समानांतर संचालन शुल्क केवल ऑन-साइट/**co-located** लोड द्वारा खपत की गई बिजली तक ही सीमित होगा, ऑफसाइट सीपीपी पर नहीं और यह जनरेटर की शुद्ध क्षमता (**total capacity- open access capacity**) पर लागू होगा।
3. **Co-located** संयंत्रों पर, चाहे उनकी कैप्टिव स्थिति कुछ भी हो, पीओसी शुल्क **Co-located** भार के लिए उपयोग की गई क्षमता तक लागू होंगे। डिस्कॉम द्वारा सीपीपी के साथ किए गए विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर कोई पीओसी शुल्क लागू नहीं होगा।

विनियामक अधिभार, ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) सहित निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है।

विवरण	(रू./यूनिट)
100 यूनिट/माह तक खपत वाले घरेलू उपभोक्ता	0.70
बचे हुए घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पे लागू होगा।	1.00

- उपरोक्त नियामक अधिभार मय ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) आरईआरसी टैरिफ विनियम 2025 के विनियम 87 के अनुसार लगाया जाएगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिस्कॉम द्वारा change in law के कारण उत्पन्न अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए आयोग द्वारा दिनांक 01.09.2022 के अपने आदेश के माध्यम से अनुमत 0.07 रुपये/यूनिट के विशेष एफएसए पर अलग से लिया जाएगा।

नोट :- वर्तमान में वह सभी प्रावधान जो कि इस आदेश में संशोधित नही किये गये है, लागू रहेंगे।

अधीक्षण अभियंता (रेगूलेशन)
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जेपीआर 3065(2025)
राज.संवाद/सी/25/11809

मारपीट कर जातिसूचक गालियां निकाली

नोखा, (कासं)। स्थानीय थाने में जातिसूचक गाली देने और मारपीट करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोगलियान जेगला निवासी मंजू मेघवाल ने मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि वह और उसके पति जेगला गांव की रोही में राजाराम बिश्नोई के कृषि कुएं पर काश्त करते हैं। चार अक्टूबर को उनके पति बीकानेर गए हुए थे और ढाणी में वह अपनी देवरानी छैलू के साथ थी। दोपहर करीब 4 बजे राकेश उनके खेत में आया और जबरन अपने पशु घुसा दिए। जब पशुओं को निकालने गई तो जातिसूचक गाली दी और जान से मारने की धमकी देते हुए उनके पीछे दौड़ा। इसी दौरान मोखराम की ढाणी से मोखराम, उसकी पत्नी और पुत्री भी खेत में आ गए। सभी ने मंजू को गालियां दी और मुक्कों व थाप से मारपीट की।

गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस

बीकानेर, (कासं)। रेंज में पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के पीछे पड़ेगी। इनकी संपत्ति जब्त की जायेगी। बीकानेर रेंज में पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनायेगी। इन लोगों के विरूद्ध कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और अब इनकी गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त की जायेगी। बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा ने अपने कार्यालय में चारों जिलों के एसपी की मीटिंग ली।

इस दौरान निर्देश दिए की गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें और उन्हें सलाखों के पीछे डालें। ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए। एक्सीडेंट रोकने पर प्राथमिकता से काम करने के लिए

> ■ बीकानेर रेंज में हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कमर कसी

कहा गया। आईजी ने धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस को सख्ती बरतने, लेकिन संवेदनशील होकर मामले को हैंडल करने के निर्देश दिए। आईजी ने चारों जिलों के एसपी से आपराधिक और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मीटिंग में बीकानेर एसपी कावेंद्रसिंह सागर, श्रीगंगानगर एसपी अमृता दूहन, चूरू एसपी जय यादव और हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर मौजूद थे।

Exclusive Showroom: Bhatia Trading Company, M: 8209436371 • Kalpatru Trade Centre, M: 9414649001 • Munesh Kumar Sood, M: 9828121201 • Swaad, M: 8094499999 • Shree Nath Trading Company, M: 9887273896 • Uma Agency, M:7014775036 • Hannu Traders, M: 8963000811 • Daga Trading Company, M: 7976050782

Area Sales Manager: Gaurav Parmar, M: 9928368236, Zonal Sales Manager: Pankaj Mittal, M: 9838572233, Sales Officer: Jitendra Singh Tanwar, M: 9664048773 • Sikandar Ali, M: 9782677876

Authorised Distributors: Bhatia Trading Company (Bikaner) M: 9414426842 • Kalpatru Trade Centre (Bikaner) M: 9413343911 • Ganesh Agency (Bikaner) M: 7014895712 • Munesh Kumar Sood (Bikaner) M: 9828121201 • Pareek Agencies (Shri Dungargarh) M: 9460672927 • Shree Shyam Enterprises (Lunkaransar) M: 9413107213 • Khushi Marketing (Nokha) M: 7425826061 • Gourav Foods (Gangashahar – Bikaner) M: 9829654176 • Swaad (Bikaner) M: 9829217460 • Shree Nath Trading Company (Bikaner) M: 9829217460 • Uma Agency (Bikaner) M: 7014775036 • Neelam Traders (Bajju) M: 9928640302 • Subhash Agency (Arjunsar) M: 9785301880 • Shri Shyam Agencies (Chhattargarh) M: 9928046033 • Sankhla Agency (Bikaner) M: 9588292734 • Mastkin Foods Pvt. Ltd. Kotgate (Bikaner) M: 8209191393 • Santosh Traders (Khajuwala) M: 9001029890 • J.K. Enterprises (Sriganganagar) M: 9829992224 • Dharna Enterprises (Suratgarh) M: 8946932657 • Deepak Agency (Anoopgarh) M: 8058005241 • Thakurdass Surendrakumar (Srikaranpur) M: 9414507385 • Shyam Variety Store (Hanumangarh) M: 9414095056 • Naresh Variety Store (Bhadara) M: 9414513471 • New Janta Variety Store (Nohar) M: 9462171441 • Sanjay & Company (Sangaria) M: 9799257600 • Shiv Variety Store (Rawatsar) M: 8387072325 • Shree Enterprises (Pilibanga) M: 9414581096 • Sri Shyam Traders (Nohar) M: 9414955101 • Shri Balaji Agency (Pallu) M: 8003926891

www.bikaji.com • 'Bikaji Online' App | Follow us on:

3BF/BK/43-25

BHUJIA • NAMKEEN • SWEETS • PAPAD • SNACKS

विचार बिन्दु

धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। -फ्रैंकलिन

समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है

दिनांक 03.10.2025 के अतिथि सम्पादकीय में लेखक ने यह कहा था कि कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिनका शासन रहा है संविधान की अवज्ञा की है। प्रथम विषय उदाहरण के हेतु था "शिक्षा का अधिाकर मानव का सर्वोच्च मूल अधिकार है।" लेखक का मूल उद्देश्य था कि 6 वर्ष तक के बालकों का शिक्षा का मूल अधिकार संविधान संशोधन से छीना गया है, जबकि शिक्षा का यह अधिकार दिनांक 25.01.1960 तक बालक को आठवीं कक्षा तक पूरा किया जाना था।

संविधान के अनुच्छेद 44 में, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का एक अनुच्छेद है, यह निर्देश है कि "राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता निर्धारित करने का प्रयास करेगा"। इस अवधारणा का आधार था कि धर्म और व्यक्तिगत कानून (स्वंय विधि) का कोई संबंध सभ्य समाज में नहीं है। निदेशक तत्वों द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभाव रूप से स्थापना और संरक्षक करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। ये तत्व देश के शासन के मूलाधार है और निश्चित ही विधि बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा। डा.अम्बेड़कर के शब्दों में ये तत्व केवल पूज्यनीय घोषणायें नहीं हैं अपितु अनुदेशों के दस्तावेज हैं। इस प्रकार समान नागरिक संहिता लागू करना संवैधानिक दायित्व है।

आजादी के 78 वर्ष बाद भारत की प्रगति को देखते हुये, "यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य यह कहे कि नीति निदेशक सिद्धान्त प्रवर्तनशील नहीं है। संविधान के चेप्टर-III व IV के प्रावधान जहां राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को परिभाषित करते हैं वहीं ये मानवीय अधिकार भी हैं जब वे मानव अधिकार हैं तो फिर ये प्रवर्तनशील हैं। राज्य में समान सिविल संहिता लागू होगी यह निर्णय संविधान निर्मात्री सभा 1950 से पूर्व ले चुकी है और 26 जनवरी 1950 से अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था है। विधान निर्मात्री सभा ने पूर्ण चर्चा के बाद इसे पारित किया था। इस प्रकार यह प्रश्न आज नहीं उठाया जा सकता कि समान नागरिक संहिता लागू हो या नहीं?

सन् 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो व श्रीमती जोर्डेन डेंगदेह के केसेज में समान नागरिक संहिता लागू करने का उल्लोख किया इसके 10 वर्ष बाद सरला मुदगल के केस में इसे लागू करने पर जोर दिया और स्पष्ट किया कि सभ्य समाज में धर्म व वैयक्तिक कानून में काई संबंध नहीं है। बहु विवाह लोक नीति के विरूद्ध है और समाज की उन बुराइयों व कुप्रथाओं के रूप में माना जाना चाहिये जैसे सती व मानव बलि जैसे प्रथायें थीं। न्यायालय ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को नकारते हुये इसे स्पष्ट किया कि देश एक है और सभी के हेतु समान नागरिक संहिता होनी चाहिये। इसके बाद 2003 में पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जॉन वेलभट्टन के केस में उपरोक्त सिद्धान्तों को पुनः दोहराया। स्पष्ट इंगित किया कि शादी, उत्तराधिकार के मामले धर्म निरपेक्ष हैं, इनका कोई संबंध धर्म से उन मूल अधिकारों से नहीं है जिनका उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। संविधान निर्मात्री सभा में अनुच्छेद 44 के बाबत वार्ता में के.एम. मुंशी ने इस विषय पर बोलते हुये आपत्तियों का जोरदार खण्डन किया था। इसका समर्थन करते हुये डा.अम्बेडकर ने बताया था कि 1935 से पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम भाग में उत्तराधिकार के मामले शरीयत से तय नहीं होकर, हिन्दू सक्सेशन लॉ से गवर्नर होते थे।

देश की कुछ राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता पर अपने राज्यों में कानून बनाये हैं। उत्तराखण्ड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। गोवा में तो पहले ही से समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य ने संविधान की अवज्ञा बहुत कर ली किन्तु समय की पुकार है कि सम्पूर्ण देश पर समान नागरिक संहिता लागू हो। हमें यह मानकर चलना होगा कि समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है और इस पर गम्भीरता से अमल करना चाहिये।

ट्रिपल तलाक की प्रथा जो 1400 वर्षों से चली आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय अल्पमत व बहुमत के निर्णय का आशय है कि ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया अवैध व विवेकशून्य तथा इसमें मानवीय अधिकारों पर क्रूर प्रहार है। निर्णय का सार है कि मुस्लिम महिला दिनांक 22.08.2017 के निर्णय की तारीख से ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्त हो चुकी है अर्थात् तलाक-ए-बिद्दत देश में समाप्त है।

शरीयत आचार शास्त्र है, इसके सिद्धान्त के स्त्रोत हैं पवित्र कुरान जो खुदा की वाणी है तथा हादिस खुदा के फरमान हैं। जो पवित्र कुरान में बुरा है वह शरियत में अच्छा नहीं हो सकता। अतः जो धर्म शास्त्र में गलत है वह कानून में भी गलत है। इसी बात को जस्टिस कुरियन जोसफ ने बहुमत के अपने निर्णय में भलीं भांति समझाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि "जब तुम किसी महिला को तलाक देते हैं तो उसका आधार विवेकपूर्ण होना चाहिये।" बहुमत से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खेहर ने अल्पमत के निर्णय को जिसमें अनुच्छेद 25 का लाभ दिया है उसे धर्म का अभिन्न अंग मानने से इन्कार किया है अर्थात् भिन्न मत अभिव्यक्त किया है और तलाक की प्रथा को कुरान के विरूद्ध माना है।

लेख के प्रारम्भिक भाग में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 44 के संबंध में दिये गये निर्णयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें सरला, मुदगल, शाहबानों, श्रीमती जार्डन डेंग देह व 2003 के जान वेलभट्टन के केसेज का उल्लेख है। इन सब में स्पष्ट किया है कि सभ्य समाज में धर्म व वैयक्तिक कानून में कोई संबंध नहीं है। देश एक है, देश के नागरिक सब समान हैं और समता, समरसता व समानता के हेतु समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आप शादी को संस्कार अथवा कान्ट्रेक्ट कुछ भी माने, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की प्रक्रिया पूरी कर सकता है, किन्तु शादी का पवित्र बंधन में बंधे जोडे के लिए खुशहाली का जीवन प्यार के साथ चलता रहे और यदि जीवन असाध्य हो जावे, सुलह के रास्ते बंद हो तो विवाह का बंधन गरिमा पूर्ण तरीके से टूटे और सभी के हेतु समान कानून इस हेतु बने। समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख संविधान के नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर में है, उसकी पूर्ण पालना हो।

यहाँ यह लिखना उचित होगा कि विधानसभा निर्मात्री सभा के समक्ष जब चर्चा चल रही थी तो एक माननीय सदस्य मोहम्मद इस्माईल साहब ने अनुच्छेद 44 में (जो पूर्व में अनुच्छेद 35 था) एक संशोधन प्रस्तावित किया, वह इस प्रकार था, "किन्तु किसी ग्रुप, सेक्शन अथवा कम्यूनिटी की यह सोच बाध्यकारी नहीं होगी, जिसका अपना पर्सनल कानून हो"। इस संशोधन पर बहस के बाद इसे नकार दिया गया। डॉ.अम्बेडकर ने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा था कि सन् 1935 तक नोर्थ वेस्ट फ्रंटीयर प्रोविन्स में सक्सेशन आदि के संबंध में हिन्दू लॉ लागू होता था और 1937 तक शेष भारत के कई भागों में जैसे यू.पी., सेन्ट्रल प्रोविन्स, बम्बई में अधिकांश मुस्लिम सक्सेशन के मामलों में हिन्दू विधि से शासित होते थे।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गजेन्द्र गड़कर ने अपने एक भाषणा में कहा था, "अनुच्छेद 44 को लागू नहीं करना भारतीय डेमोक्रेसी की विफलता है"। जस्टिस हेगड़े ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि "सोसाइटी को यदि विभिन्न कानूनों के द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पार्टमेण्ट में बांट दिया गया तो वह कभी भी एक रूप नहीं हो सकती"। धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ मध्यकाल की बात है। जस्टिस छागला ने कहा था कि देश को प्रत्येक नागरिक को नीति निदेशक तत्वों के दर्शन को मानना चाहिए।

हम यदि भारतीय समाज की बात करें अथवा अन्य मुस्लिम देशों की जैसे टर्की, ट्यूनेशिया, सीरिया, मोरक्को, मिश्र, पाकिस्तान, ईरान आदि की बात करें तो स्पष्ट है कि इन देशों ने अपने आचरण से यह स्वीकार कर लिया है कि मुस्लिम विधि अब अभेदनीय अथवा अखण्ड़नीय नहीं है।

देश की कुछ राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता पर अपने राज्यों में कानून बनाये हैं। उत्तराखण्ड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। गोवा में तो पहले ही से समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य ने संविधान की अवज्ञा बहुत कर ली किन्तु समय की पुकार है कि सम्पूर्ण देश पर समान नागरिक संहिता लागू हो। हमें यह मानकर चलना होगा कि समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है और इस पर गम्भीरता से अमल करना चाहिये। यह देश हित में है समता, समानता व बन्धुत्व की भावना को शक्तिशाली धरातल देने के लिये आवश्यक है। अनुच्छेद 25 धर्म के आचरण के सम्बन्ध में स्वतंत्रता देता है वहीं अनुच्छेद 44 सामाजिक सम्बन्धों व वैयक्तिक कानूनों को धर्म से अलग रखता है।

"सबको सन्मति दे भगवान् - ईश्वर अल्लाह तेरो नाम"।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान औद्योगिक प्रगति की ओर : प्लग एंड प्ले की नई शुरुआत

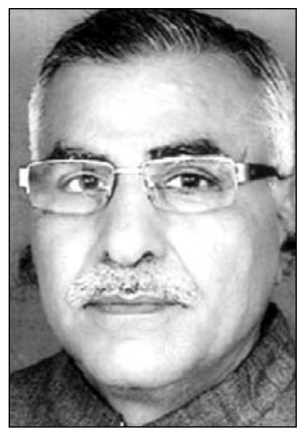

गुलाब बत्रा

राजस्थान अब इतिहास, संस्कृति और पर्यटन का पर्याय होने के साथ ही औद्योगिक प्रगति का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार दूरदर्शी औद्योगिक नीति से पारंपरिक ढांचे को तोड़ते हुए आधुनिक औद्योगिक युग की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। इन्हीं में से एक ऐतिहासिक पहल 'प्लग एंड प्ले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स' उद्योगों के नए युग का सूत्रपात कर रही है। यह परियोजना राजस्थान के युवाओं के उद्यमशील सपनों को जमीन देने वाली नीति दृष्टि का परिणाम है। इसमें न केवल निवेश आकर्षण का लक्ष्य है, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी यह एक सशक्त कदम है। भजनलाल शर्मा सरकार ने यह साबित किया है कि इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता से बजट घोषणाओं और विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में खैरथल-तिजारा और जयपुर जिले में 'प्लग एंड प्ले' कॉम्प्लेक्स की घोषणा के कुछ ही महीनों में इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार नीतियों के साथ-साथ परिणामों पर भी उतना ही ध्यान दे रही है।

जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 4000 वर्गमीटर भूमि पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा किया गया है। इसमें 33 रेडी-टू-यूज़ मॉड्यूल्स तैयार हैं। इनमें उद्यमियों को बस प्रवेश कर व्यवसाय आरंभ कर देना है। यह मॉडल इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि सरकार ठोस नीयत और तत्परता से कार्य करे तो औद्योगिक परियोजनाएं वर्षों नहीं, महीनों में साकार हो सकती हैं। राज्य सरकार ने इस परियोजना को केवल जयपुर तक सीमित नहीं रखा है। अलवर जिले के चोपांकी औद्योगिक क्षेत्र में 10,046 वर्गमीटर भूमि पर इसी तरह के कॉम्प्लेक्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। सालारपुर औद्योगिक क्षेत्र में 13,235 वर्गमीटर भूमि इस योजना के लिए चिन्हित की गई है। यह दर्शाता है कि सरकार औद्योगिक विकास को क्षेत्रीय संतुलन के साथ आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि विकास केवल शहरी केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचे। जोधपुर का आरआईआईसीओ बोरनाडा फेज़ तृतीय अब इस नई औद्योगिक दृष्टि का अहम केंद्र बन गया है। ई-ऑक्शन के माध्यम से 4 सितम्बर 2023 को 9000 वर्गमीटर भूमि अयोध्या इंडस्ट्रियल पार्क को आवंटित की गई। आवंटन के तुरंत बाद निर्माण कार्य का प्रारंभ होना यह साबित करता है कि सरकार की औद्योगिक प्रक्रियाएं पारदर्शी और समयबद्ध हो गई हैं। इसी प्रकार, एग्रो फूड पार्क बोरनाडा में भी लगभग 4000 वर्गमीटर भूमि इसी योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार उद्योगों में विविधता पर भी ध्यान दे रही है।

राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र लंबे समय तक औद्योगिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है, लेकिन अब बालोतरा जिले के बोड़वास कलावा औद्योगिक क्षेत्र को 'प्लग एंड प्ले' योजना से जोड़ा गया है। यहाँ चार भूखंड इस परियोजना के लिए नियोजित किए गए हैं। इनमें से दो पर निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह पहल न केवल क्षेत्रीय असमानता को घटाएगी, बल्कि पश्चिम राजस्थान को औद्योगिक पहचान देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। आज की युवा पीढ़ी तेज़ी से बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा में समय की कीमत समझती है। पारंपरिक फैक्ट्री स्थापित करने की लंबी प्रक्रिया, अनुमति संबंधी अड़चनें और भारी निवेश युवा उद्यिमयों के लिए बड़ी बाधा बनते हैं।

'प्लग एंड प्ले' मॉडल इन तमाम जटिलताओं से मुक्त है। इसमें तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, जल, संचार और प्रशासनिक स्वीकृतियां पहले से उपलब्ध होती हैं। उद्यमी को बस उत्पादन शुरू करना होता है। यह मॉडल एमएसएमइ सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से वरदान साबित हो रहा है। इनमें उद्यमी न्यूनतम पूंजी और समय में अपना उद्यम खड़ा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य की औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब हम युवा उद्यिमयों को सुविधा, विश्वास और अवसर एक साथ दें। यह सोच ही इस योजना की आत्मा है।राजस्थान सरकार की नीतियों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। सरल ऑनलाइन प्रक्रियाएं, एकल खिड़की प्रणाली, पारदर्शी भू-आवंटन और प्रोत्साहन पैकेजों ने निवेश माहौल को और सुदृढ़ किया है।

राज्य में लगने वाले इन 'प्लग एंड प्ले' कॉम्प्लेक्सों से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन और निर्यात क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राज्य का योगदान भी है। आज राजस्थान जिस तेज़ी से उद्योग, निवेश और अवसंरचना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वह आने वाले दशक में राजस्थान को उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक स्थल बना देगा।

प्लग एंड प्ले की नई शुरुआत इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली शासन प्रणाली पर विश्वास करती है। यह पहल सुशासन, पारदर्शिता और प्रगतिशील सोच का जीवंत उदाहरण है। राजस्थान की यह औद्योगिक यात्रा केवल नई फैक्ट्रियों की कहानी नहीं, बल्कि एक नई सोच का उदय है। यहां सरकार निवेशकों की साझेदार, युवाओं की सहयोगी और जनता की भागीदार बनकर काम कर रही है। निश्चय ही, यह पहल आने वाले वर्षों में राजस्थान को पर्यटन, संस्कृति और खनिज संपदा के साथ-साथ भारत के औद्योगिक मानचित्र पर भी अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगी।

गुलाब बत्रा, वरिष्ठ पत्रकार।

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 : जनता के काम, जनता के द्वार की अवधारणा हो रही साकार

राजस्व अभिलेखों में त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया से मारुफ को मिली बड़ी राहत

सविता सिंह

राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने एक बार फिर साबित किया है कि यह पहल ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्याओं का त्वरित समाधान करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। बाड़मेर जिले की ठाम पंचायत इटादा, तहसील धनाऊ निवासी मारुफ पुत्र अमीर को लंबे समय से राजस्व अभिलेखों में हिस्सा सही दर्ज न होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

समस्या के समाधान के लिए मारुफ एवं उनके सहखातेदारों ने धनाऊ में आयोजित ठामीण सेवा शिविर में सहमति शुद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रभारी तहसीलदार धनाऊ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक आलमसर और पटवारी इटादा को दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए। अधिकारियों ने मौके पर ही दस्तावेजों का मुआयना कर शुद्धि प्रस्ताव तैयार किया। विशेष बात यह रही कि प्रस्ताव तैयार होने के तुरंत बाद शिविर स्थल पर ही इसे स्वीकृत कर दिया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक नामांकन की कार्यवाही भी पूर्ण कर दी गई। इस त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया से मारुफ पुत्र अमीर और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली।

मारुफ ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन का आभार जताया और कहा कि इस प्रकार के शिविरों से अब आमजन को दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सफलता की कहानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से सरकार जनता के काम, जनता के द्वार की अवधारणा को साकार कर रही है और सुदूर क्षेत्रों के किसानों व ग्रामीणों तक सरकारी सेवाएं सरलता एवं त्वरित गति से पहुंच रही हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर में मिला भूमि का स्वामित्व

मातादीन और जगदीश के भविष्य की मजबूत हुई बुनियाद-

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशभर में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए संबल का माध्यम बन रहे है। इन शिविरों में ना केवल वर्षो से अटकी समस्याओं का निस्तारण किया है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखण्ड के एक छोटे से गांव जमूरा का अड्डा में विशेष रूप से घुमंतू-अद्धर्घुमंतू मोगिया समुदाय निवास करता है। यहां रहने वाले मातादीन पुत्र बंशी, जगदीश पुत्र हरिसिंह अपने परिवार के साथ सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर जीवनयापन कर रहे थे। जीवन की कठिनाईयां, आर्थिक तंगी और छत के अभाव में वह लगातार संघर्ष कर रहे थे। पक्की छत नहीं होने से बारिश हो या तेज धूप, उनके लिए कोई राहत नहीं होती।

गांव में हुए आवासी पटटे के सर्वे के दौरान मातादीन एवं जगदीश को जब बताया गया कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है, तब पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ग्राम पंचायत नकसौदा के ग्रामीणों एवं स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने आवेदन किया। काफी इंतजार और प्रक्रिया के बाद उनको आवासीय पट्टा भूमि का स्वामित्व मिला।

सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और भूमि पट्टा वितरण योजना ने उनकी जिदंगी में नया उजाला ला दिया। जब उन्हें ग्राम पंचायत नकसौदा में ग्रामीण सेवा शिविर में पट्टा मिला तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह उनके वर्षो के संघर्ष की गवाही दे रही थी। अब वे ना सिर्फ अपने लिए घर बना सकते है, बल्कि अगली पीढ़ी को भी बेहतर जीवन दे सकते है। शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी भगवत शरण त्यागी एवं तहसीलदार उत्तम चंद बंसल को उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि योजनाएं सही तरीके से जरूरतमंदो तक पहुंचे तो जिदंगी बदल सकती है। पट्टा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं यह उनके आत्मसम्मान और भविष्य की बुनियाद बन गया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सीगड़ा की मोनिका को मिला लाभ-

प्रदेश में आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण करने एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक पहुँचाने का सफल प्रयास साबित हो रहे है। इसी कड़ी में झुंझुनूं जिले की ग्राम पंचायत सीगड़ा में आयोजित शिविर के दौरान मोनिका पत्नी सुदेश कुमार को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया।

शिविर में मोनिका की दूसरी बेटी के जन्म पर पोषण ट्रैकर पर उसका ऑनलाइन पंजीकरण किया गया तथा योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरा गया। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसे 6000 रूपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई, जिससे उसके परिवार को आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर के दौरान मोनिका की बेटी का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया। यह कार्यक्रम एक सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के अधिकारी एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अपनी बेटी के अन्नप्राशन और योजना से लाभ प्राप्त कर मोनिका ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राशि उनके परिवार के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी और इस योजना ने मातृत्व काल में उन्हें सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है। सीगड़ा शिविर में मोनिका को मिला यह लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की एक प्रेरणादायी मिसाल प्रस्तुत करता है।

-सविता सिंह,
एपीआरओ, राजस्थान सरकार

सुहागिनों का त्योहार "करवा चौथ"

डॉ. मोनिका ओझा खत्री

करवा चौथ हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती, अपने वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और लम्बी उम्र के लिए उपवास रखती है। यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ पर्व इस साल 1 0 अक्टूबर, शुक्रवार को है। पंचाग के मुताबिक करवाचौथ पर पूजा का शुभ समय शाम 5:57 मिनट से शुरू होगा जो 7:11 बजे तक रहेगा। यानि पूजा का शुभ मुहूर्त एक घंटे 14 मिनट का होगा। चंद्रोदय शाम 7 बजकर 42 मिनट पर रहेगा।

इस दिन महिलाएं रात को चांद देखकर उसे अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत की शुरुआत सावित्री के त्याग और फल से हुई थी। पौराणिक कथा अनुसार सावित्री अन्न-जल त्याग कर यमराज से अपने पति को वापस लाई थी। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। यह व्रत अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं। सोलह श्रृंगार में माथे पर लंबी सिंदूर अवश्य हो क्योंकि यह पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। मंगलसूत्र, मांग टीका, बिंदिया, काजल, नथनी, कर्णफूल, मेहंदी, कंगन, लाल रंग की चुनरी, बिछिया, पायल, कमरबंद, अंगूठी, बाजूबंद और गजरा ये 16 श्रृंगार में आते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल व्रत कर चौथ माता से अपने पति की लम्बी उम्र की कामना करती है।

इस व्रत को उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। व्रत में चौथ माता के पूजन का महत्व सर्वाधिक है। इस दिन महिलाएं सजी थाली से पूजा करना शुभ मानती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की पूजा करना जरूरी होता है। थाली में सिंदूर, रोली, जल और सूखे मेवे रखते हैं। करवा चौथ के व्रत और पूजा में इस थाली का खासा महत्व होता है। करवा चौथ पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा होती है। पूजा में शाम को सभी व्रती महिलाएं एक साथ बैठ व्रत कथा कहती हैं। सबसे पहले चौथ माता की स्थापित मूर्ती पर फूल-माला और कलावा चढाया जाता है और उनके प्रतिमा के आगे करवा में जल भर कर रखा जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा उदय होने का समय सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्व का है क्योंकि वे अपने पति की लम्बी उम्र के लिये पूरे दिन (बिना पानी के) व्रत रखती हैं। वे केवल उगते हुये पूरे चाँद को देखने के बाद ही पानी पीती हैं। यह माना जाता है कि चाँद देखे बिना व्रत अधूरा है। इस दिन महिलाएं शिव, पावर्ती और कार्तिक की पूजा-अर्चना करती हैं फिर शाम को छलनी से चंद्रमा और पति को देखते हुए पूजा करती हैं। पूजा के समय ही करवा चौथ की कथा सुनी जाती है. चन्द्रमा को छलनी से देखा जाना चाहिए। फिर अंत में पति के हाथों से जल पीकर व्रत समाप्त हो जाता है अंत में चांद का दीदार करने के बाद महिलाएं पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। यह माना जाता है कि अगर छलनी में चंद्रमा देखते हुए पति का चेहरा देखना शुभ माना जाता है।

-डॉ. मोनिका ओझा खत्री
(लेखक पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जयपुर के बीबीए की विभागाध्यक्ष है।)

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 10 अक्टूबर, 2025

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, चतुरथी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, कृत्तिका नक्षत्र सायं 5:31 तक, सिद्धि योग सायं 5:41 तक, बव करण प्रातः 9:17 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृष, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मिथुन, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सायं 5:31 से सूर्योदय तक है। कुमार योग 7:39 से सूर्योदय तक है। आज करवा चौथ (करक) व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में 8:25 पर होगा। आज दशरथ चतुरथी है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 7:54 तक, लाभ-अमृत 7:54 से 10:47 तक, शुभ 12:14 से 1:41 तक, चर 4:34 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:01

मेष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृष

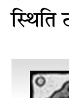

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

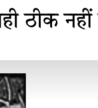

आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कर्क

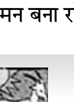

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आज घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

कन्या

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

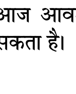

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृश्चिक

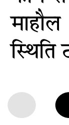

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर

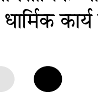

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कुंभ

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

आमजन देखेंगे सेना के शौर्य और बलिदान की गाथा : भजनलाल शर्मा

आर्मी-डे परेड की तैयारियां कार्ययोजना के अनुरूप पूर्ण करें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

- 15 जनवरी को भारतीय सेना द्वारा जयपुर में आर्मी-डे परेड का आयोजन किया जायेगा
- इससे पूर्व 8 से 15 जनवरी तक उपकरण प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को भारतीय सेना द्वारा जयपुर में आर्मी-डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इस सम्पूर्ण आयोजन के माध्यम से आमजन को भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान के गौरवशाली इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्मी-डे परेड का आयोजन भव्य और व्यापक रूप से किया जाएगा।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परेड भारतीय सेना और वीर सैनिकों के पराक्रम और वीरता को प्रदर्शित करेगी। प्रशासन और अधिकारी इस आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के लिए सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर जयपुर को जगतपुरा के महल रोड पर आर्मी-डे परेड से संबंधित सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड में शामिल होने वाले विशिष्ट गणमान्य, सैन्य अधिकारी और शहीदों के परिजनों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने पुलिस आयुक्त, जयपुर को परेड स्थल पर पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के उचित प्रबंधन के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परेड और इससे संबंधित अन्य आयोजनों को देखकर विशेष रूप से युवाओं में देश भक्ति की भावना और अधिक प्रबल होगी। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने बैठक में बताया कि 8 से 15 जनवरी तक उपकरण प्रदर्शन होगा। साथ ही, 15 जनवरी को ही आर्मी-डे परेड एवं सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक विविधता और शौर्य गाथा से संबंधित ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 7 दिसम्बर को जेएलएन मार्ग पर ऑनर रन का भी आयोजन होगा।बैठक में मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आर्मी-डे परेड की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित भारतीय थल सेना एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा का हृदयाघात से निधन

- आदर्श नगर स्थित मोक्षधाम में गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार
- बताया जा रहा है कि हनुमंत मीणा को 2 दिन पहले सीने में दर्द के बाद निजी अस्पताल भर्ती कराया गया था

जयपुर (कासं)। टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद व पूर्व डी.जी.पी. हरीश मीणा के इकलौते बेटे हनुमंत मीणा (35) की हार्टअटैक (हृदयाघात) से मौत हो गई। 2 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत होने पर उनको जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हनुमंत मीणा को जनरल वार्ड में भर्ती कर जांचें की गई, जो एकदम ठीक आई थी। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। दोपहर करीब 3 बजे हनुमंत मीणा को हार्टअटैक आ गया। इस दौरान डॉक्टर भी वार्ड में ही थे। डॉक्टर ने तुरंत हनुमंत मीणा को संभाला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर हरीश मीणा टोंक में कांग्रेस की बैठक रद्द करके जयपुर लौटे। गुरूवार शाम को आदर्श नगर स्थित श्मशान घाट में गमगीन माहौल के बीच हनुमंत मीणा का अंतिम संस्कार किया गया।

मात्र 35 वर्षीय हनुमंत एक व्यवसायी थे और जयपुर में अपना व्यवसाय संभालते थे। हनुमंत मीणा के निधन की खबर से उनके परिवार में गहरा शोक है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दुखद घटना के बाद राजस्थान के राजनीतिक हलकों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। हनुमंत के पिता, सांसद हरीश चंद्र मीणा, 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और वर्तमान में टोंक-सवाई माधोपुर से कांग्रेस सांसद है।बताया जा रहा है कि, कांग्रेस सांसद हरीश मीणा गुरूवार सुबह बेटे हनुमंत मीणा से अस्पताल में मिले थे। इसके बाद वह सवाई माधोपुर में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए थे। सवाई माधोपुर के बाद वह टोंक में कांग्रेस की बैठक में जा रहे थे। रास्ते में उनको बेटे की मौत की सूचना मिली तो वे टोंक बाइपास से सीधे जयपुर लौट गए। हनुमंत मीणा बिजनेसमैन थे, उनके एक बेटा और एक बेटी है।टोंक में कांग्रेस की बैठक स्थगित सूचना के बाद कांग्रेसियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। ए.आई.सी.सी. महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने हनुमंत मीणा की मौत पर दुःख जताया। हनुमंत मीणा के निधन की सूचना मिलने के बाद टोंक कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस ऑफिस में रखी गई बैठक भी स्थगित कर दी गई।

'राजस्थान में भाजपा सरकार के 20 माह, कांग्रेस के 5 वर्षों पर भारी'

- भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉफ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला

जयपुर । भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 20 महीनों के कार्यकाल को कांग्रेस सरकार के 5 सालों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और परिणामदायक बताया।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार का पूरा कार्यकाल सेवा, विकास और पारदर्शिता के संकल्प पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जहां निष्क्रियता और केवल घोषणाओं की राजनीति हावी थी, वहीं वर्तमान सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने का संकल्प लेकर जनसंपर्क अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया है। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर इस स्थिति को सुधारा है। सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए शिविरों में भूमि विवाद, नामांतरण, प्रमाण पत्र, पेंशन और जन आधार से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया गया। इसके साथ ही सहकारी सदस्यता अभियान के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा मिला है, जो पहले कुछ गुटों के नियंत्रण में था।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भाजपा सरकार ने 20 महीनों में जो काम किए हैं, वे कांग्रेस सरकार पूरे 5 वर्षों में नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों के हित में अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, सड़कों, आवास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भाजपा सरकार की उपलब्धियाँ कहीं अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को समर्पित रहते हुए खेतों की तारबंदी, फार्म पॉन्ड निर्माण, पाइपलाइन वितरण और बीज मिनी किट के माध्यम से उन्हें राहत दी है। सहकारी बैंकों के माध्यम से रिकार्ड ऋण वितरण किया गया है। डॉ. बैरवा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादन, नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी कांग्रेस से कहीं अधिक कार्य किया है। विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप वितरण की योजना के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल क्रांति लाई गई है। सरकार की कोशिश रही है कि बजट घोषणाएं केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि हर योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे।

भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की हैं जो लाखों लोगों को राहत देंगी। किसानों को दिन में बिजली देने की व्यवस्था की, पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया और बड़ी संख्या में कृषि कनेक्शन जारी किए। वृक्षारोपण के क्षेत्र में करोड़ों पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा।

धनखड़ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कांग्रेस सरकार के समय भारी गड़बड़ियां थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने 32 लाख अपात्र नाम हटाकर 59 लाख नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा है, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंदों को मिला है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार ने साइकिल वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, लखपति दीदी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, पीएम मातृ वंदना योजना जैसे अनेक कदम उठाए हैं, जिनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं के लिए नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और 21 नवीन नीतियों के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन देने जैसे कार्य किए हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में चचेरी बहन और अभियुक्त को 20 साल की सजा

अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े मामले में पीड़िता की चचेरी बहन और उसके परिचित अभियुक्त धीरज को 20 साल की सजा सुनाई है। पीठासीन अधिकारी अलका बंसल ने दोनों अभियुक्तों पर 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडिता को क्षितपूर्ति दिलाने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा है।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीडिता ने 26 अक्टूबर, 2023 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी चचेरी बहन उसे अपने दोस्त के निवास पर कार्यक्रम का कहकर ले गई थी। जब वह मौके पर पहुंची तो कोई कार्यक्रम नहीं था और सिर्फ अभियुक्त वहां मिला। इस दौरान चचेरी बहन उसके साथ रात को रुक गई। जहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके चलते अगले दिन उसने अनाज में रखने वाली कीडे मारने की गोली खा ली थी, लेकिन गोली पुरानी होने के कारण उसकी जान बच गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्टूबर और चचेरी बहन को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। पुलिस जांच में पता चला कि चचेरी बहन पीडिता को कार्यक्रम का बहाना कर अपने साथ ले गई थी। रात के वक्त तीनों एक ही कमरे में सोए थे। जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त और पीड़िता की चचेरी बहन को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

बीसीआर चुनाव के नामांकन की फीस बढ़ाने और कमेटी गठन को चुनौती

जयपुर । प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के नामांकन की फीस 10 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव कराने की जिम्मेदारी देने के लिए कमेटी गठित करने को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष और बीसीआर का चुनाव लडने वाले अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा की ओर से दायर इस याचिका पर अदालत 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। याचिका में बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सचिव और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1961 के नियम 3 में प्रावधान है कि राज्य बार कौंसिल का सचिव रिटर्निंग ऑफिसर होगा और उसकी ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं बीसीआर चुनाव नियम,1968 के नियम 8 में हुए संशोधन में प्रावधान है कि नामांकन फीस दस हजार रुपए रहेगी। इसके बावजूद भी बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने गत 25 सितंबर को आदेश जारी कर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव कराने के लिए सात अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन कर दिया। इसके अलावा प्रत्याशियों से नामांकन फीस के तौर पर दस हजार रुपए के स्थान पर 1.25 लाख रुपए लेने का प्रावधान किया। याचिका में कहा गया कि राज्य बार कौंसिल के चुनाव को लेकर बीसीआई को दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा नियमों के विपरीत जाकर भी बीसीआई आदेश जारी नहीं कर सकती।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण को नई उडान

हर क्षेत्र में महिलाओं को मिल रहे समान अवसर, योजनाओं से बन रही आत्मनिर्भर

- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्यिमता के क्षेत्र में उठाए गए अभूतपूर्व कदम

जयपुर । राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि "आधी आबादी" की भागीदारी के बिना विकसित राजस्थान की कल्पना अधूरी है, इसी सोच के साथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की हैं। महिलाएं खेती से लेकर उद्योग और आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों तक में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मातृत्व पोषण योजना, निःशुल्क सैनिटरी नेपकिन वितरण, गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी कूपन जैसे कदमों से महिलाओं को सीधा लाभ मिला है।

राज्य सरकार ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए गार्गी पुरस्कार, कालीबाई स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जैसी योजनाएं चलाई हैं, जिनके अंतर्गत अब तक 39 हजार से अधिक स्कूटियां वितरित की गई हैं। सरकारी महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है।

महिला सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और महिला सलाह केंद्र जैसे ठोस प्रयास किए गए हैं।

महिला उद्यिमता को बढ़ावा देने के लिए महिला निधि के तहत 31,053 स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया गया।

'लखपति दीदी' योजना में 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण मिला, जिनमें से 11 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ड्रोन प्रशिक्षण, अमृता हाट, वन धन विकास केंद्र जैसे नवाचारों से ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों की महिलाएं भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रही हैं।

जर्जर स्कूल भवनों और छात्रसंघ चुनाव पर सुनवाई टली

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर 15 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी।जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से जर्जर स्कूल भवनों के संबंध में मांगी गई जानकारी तैयार की जा चुकी है, लेकिन प्रमुख शिक्षा सचिव बीते तीन दिन से मौजूद नहीं हैं। ऐसे में मामले की सुनवाई टाली जाए। वहीं एएसजी भरत व्यास की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से एएसजी पद का कार्यभार हाल ही में ग्रहण किया गया है। दोनों को सुनकर अदालत ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई टाल दी। इसी तरह जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका में अधिवक्ता अभिनव शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के प्रकरणों का हवाला देते हुए छात्रसंघ चुनाव कराने की गुहार की गई।

4 साल की पीडिता के बयान पर हुई अभियुक्त को सजा

जयपुर । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर प्रथम ने चार साल की पीडिता के बयान के आधार पर पॉक्सो प्रकरण के अपराधी रोहित मलाह को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में पीड़ित बालिका की साक्ष्य पूर्णतः विश्वास करने योग्य है।

पीडिता न केवल अपने बयानों पर कायम रही, बल्कि प्रति परीक्षा में भी उसके बयानों में विरोधाभास नहीं रहा। प्रकरण में साढ़े तीन साल की पीडिता ने ऐसी पीड़ा को झेला, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता की बुआ ने 24 मई, 2024 को जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि तीन दिन पहले रात के समय वह अपने पति के साथ नीचे वाले कमरे में सो रही थी और पीडिता व उसकी बेटी छत पर सो रही थी। छत पर बने पोर्शन में अभियुक्त अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था।

रात करीब साढ़े 11 बजे पीड़िता के रोने की आवाज आई। जब पीडिता को संभाला को उसने पेट दर्द होने की बात कही। अगले दिन भी पीडिता ने अपनी दादी को दर्द की शिकायत कर डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया। बीती रात करीब एक बजे बच्ची ने रोते हुए फिर से दर्द होने की शिकायत की।

इस पर ध्यान से देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट पर सूजन आ रखी थी। पूछने पर पीडिता ने बताया कि अभियुक्त ने वहां अपनी अंगुली डाली थी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत के सामने घटना को दोहराया।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसका परिवार पीड़िता की बुआ के घर रहता है और वह मकान खाली कराने के लिए उसे झूठा फंसा रही है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

650 किलो मिल्क केक नष्ट कराया, 5000 किलो खाद्य सामग्री सीज

स्वास्थ्य विभाग ने खो-नागोरियान में पकड़ा मिलावटी मिल्क केक का अवैध कारखाना

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । खाद्य विभाग की टीम ने गुरूवार को जयपुर के खोह नागोरियान क्षेत्र में मिलावटी केक की अवैध फैक्ट्री पकड़ी। टीम ने 650 किलो मिल्क केक नष्ट कराया और 5000 किलो खाद्य सामग्री भी सीज की है। यह फैक्ट्री बिना किसी फूड लाइसेंस खो नागोरियान क्षेत्र की ढींगा वाली ढाणी में चल रही थी।

ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में अभियान जारी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी.शुभमंगला के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा डॉक्टर वी.पी.शर्मा एवं सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि दीपावली के त्यौहार के मध्यनजर अलग-अलग टीमें बनाकर सघन अभियान के रूप में जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री विशेषकर घी, तेल, मसाले, पनीर, मावा और मिठाइयों की निर्माण इकाइयों एवं विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

टीम ने गुरुवार दोपहर खो-नागोरियान में ढींगा वाली ढाणी स्थित मिल्क केक के एक कारखाने पर कार्यवाही करते हुए 600 किलो मिलावटी केक नष्ट करवाया। संचालक मनोज जैन, अवैध रूप से बिना फूड लाइसेंस के कारखाना चला रहा था। मौके पर सूजी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी डालकर मिलावटी मिल्क केक बना रहा था। आरोपी मनोज जैन ने बताया कि आगरा रोड, नाई की थड़ी, दिल्ली रोड, जामडोली, रामगढ़ रोड के मिठाई विक्रेताओं को 250 रुपये किलो बेचता है। दुकानदार इसे 400 रुपए किलो बेचते है।

डॉ. मित्तल ने बताया कि मौके पर 2300 किलो चीनी, 1150 किलो सूजी, 90 किलो मिल्क पाउडर, 600 किलो लिक्विड ग्लूकोज, 21 टीन रिफाइंड सोयाबीन तेल 2 किलो फिटकरी जप्त की गई। दीपावली पर लगभग 10 हजार किलो मिलावटी मिल्क केक बनाकर बेचने की तैयारी थी। मौके पर मिल्क केक के नमूने लेकर पैकेटों में रखा 600 किलो मिलावटी मिल्क केक, लगभग 400 किलो पैकिंग के लिए रखा मिलावटी मिल्क केक, लगभग 100 किलो तैयार घोल, 100 किलो सूजी मिल्क पाउडर का मिश्रण नष्ट करवाया गया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध कारखाना बंद करवाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी,विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे।

खाद्य विभाग और जयपुर सीएमएचओ द्वितीय की टीम ने गुरूवार को खो-नागोरियान क्षेत्र में मिलावटी केक की अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी करके 650 किलो मिल्क केक नष्ट कराया।

'अंग प्रत्यारोपण का विश्व स्तर का केन्द्र बना जयपुर'

जयपुर । अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में जयपुर वैश्विक नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा रहा है। शहर में इंडियन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सोसाइटी का 35वां वार्षिक सम्मेलन, 9 से 12 अक्टूबर तक नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। इसमें 20 से अधिक देशों के 150 विशेषज्ञ शामिल होकर नवाचार, शोध और वैश्विक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राज्य की कीर्तिमानों को देखते हुए विदेशी वक्ताओं ने माना कि जयपुर अब अंग प्रत्यारोपण के मामले में विश्व स्तर का केंद्र बन गया है।

सम्मेलन का उद्घाटन 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले तथा विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉ. सुनीता शर्मा भी शामिल होंगे। आयोजन की जिम्मेदारी महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापक तथा 35वी कांफ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉ एम.एल.स्वर्णकार, आयोजन सचिव डॉ. सूरज गोदारा, सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अर्पिता रायचौधरी, महासचिव डॉ. मनीष बालवानी के नेतृत्व में की जा रही है।

डॉ. सूरज गोदारा के अनुसार, सम्मेलन में पहली बार बड़ी संख्या में विश्व विख्यात विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं इनमें प्रो. रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी, प्रो. जॉन फंग, प्रो फादी इस्सा, प्रोफ. काजुनारी तनाबे (जापान) और प्रो. मोहम्मद रेला (भारत/)। भारतीय विशेषज्ञों की टीम में डॉ. विवेक कूटे, डॉ. नारायण प्रसाद, डॉ. संजय कोलटे और अन्य प्रमुख डॉक्टर शामिल हैं, जो एबो-इनकंपिटिबल प्रत्यारोपण, रोबोटिक सर्जरी और पैर्ड किडनी एक्सचेंज पर अपने अनुभव साझा करेंगे।

हाईवे व ब्रिज बनाने वाली जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी पर आयकर का छापा

उदयपुर, जोधपुर, जयपुर सहित दिल्ली, गुजरात, यूपी, एमपी और हरियाणा स्थिति 40 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

- **सर्च ऑपरेशन में 200 से अधिक आयकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं**
- **आयकर के छापे से कंपनी से जुड़े व्यवसायियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा**

उदयपुर, (कासं)। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने नेशनल हाइवे और ब्रिज बनाने वाली नामी और बड़ी ठेकेदार कंपनी उदयपुर की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी पर गुरूवार सुबह छापेमारी की है।

जानकारी के अनुसार सुबह छह बजे आयकर विभाग की करीब 40 से अधिक टीमों ने एक साथ जीआर इंफ्रा के राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर सहित दिल्ली, गुजरात, यूपीए एमपी और हरियाणा स्थिति 40 ठिकानों पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अलसुबह हुई कार्रवाई से जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी से जुडी दूसरी बड़ी कंपनियों, व्यवसायियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यह पूरी कार्रवाई राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के संयुक्त निदेशक अवधेश कुमार के नेतृत्व में चल रही है।

जानकारी के अनुसार इस सर्च ऑपरेशन में 200 से अधिक आयकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। कंपनी के प्रबंधकों और निदेशकों से दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज और डिजीटल डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बड़े स्तर पर अघोषित संपत्ति के खुलासे की संभावना है।

गौरतलब है कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी देश में नेशनल हाइवे बनाने की नामी और बड़ी ठेकेदार कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से देश में सरकारी एजेंसीज के जरिए हाइवे, ब्रिज, रेलवे ट्रेक, रेलवे ब्रिज, टनल, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोप-वे बनाने, लॉजिस्टिक पार्क डवलप करने जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है। आयकर विभाग की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी पर अघोषित संपत्ति की गोपनीय सूचनाओं के चलते लंबे समय से नजर थी। संभावना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में कंपनी द्वारा बड़े स्तर पर फंड रोटेशन कर अघोषित संपत्ति जमा की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग ने अभी तक अघोषित संपत्ति के संबंध में कोई भी अधिकृत जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि करोड़ों की अघोषित संपत्ति के खुलासे की संभावना है।

शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

आरोपी शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर

- **शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ को कंपनी के मार्फत परिवादी से रिश्वत लेते पकड़ा**
- **प्रधानमंत्री आवासीय योजना की शेष राशि के भुगतान की एवज में 40 हजार की रिश्वत मांगी**

झुंझुनूं/जयपुर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झुंझुनूं टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए नगर पालिका सूरतगढ़ के शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर को कंपनी के मार्फत परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी झुंझुनूं टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसको प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 2.50 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें परिवादी को एक लाख रुपये का भुगतान हो चुका है तथा शेष एक लाख पचास हजार रुपये के भुगतान की एवज में नगर पालिका सूरतगढ़ के शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर 40 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है।

रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपित दीपक टेलर ने परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए एक लाख रुपये की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा शेष भुगतान स्वीकृत करवाने की एवज में बाद में बताने की कही है एवं पूर्व में भुगतान करवाई गई किश्त की एवज में 10 हजार रुपये की मांग की गई। जिस पर रिश्वत मांग के अनुसरण में एसीबी झुंझुनूं के पुलिस उप अधीक्षक शब्बीर खान के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए दीपक टेलर दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

पूर्व आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को अवैध संपत्ति केस में चार साल की सजा

27 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, कई वर्षों के बाद आया फैसला

- **सीबीआई ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ**
- **सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 91.31 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की**

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की साधारण कैद और 27 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जोधपुर के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज भूपेंद्र सनाढ्य ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भगवानसिंह भंवरिया ने बताया कि वर्ष 2015 में सीबीआई जोधपुर की टीम ने इनकम टैक्स विभाग के आईटीओ शैलेंद्र भंडारी और चीफ कमिश्नर पीके शर्मा तथा बिचौलिए ज्वैलर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही दोनों अफसरों के खिलाफ की गई जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के तथ्य भी सामने आए थे। उसी आधार पर दोनों के खिलाफ अलग केस दर्ज किए गए थे। सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि एक अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 91.31 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की। इन संपत्तियों में आभूषण, घरेलू सामान, नकदी, बैंक बैलेंस, वाहन, शेयर और अचल संपत्ति शामिल थी। इसी अवधि में उनकी कुल वैध आय 61.25 लाख रुपए थी जबकि कुल व्यय 29.74 लाख रुपए था। सीबीआई की विस्तृत जांच में यह स्थापित हुआ कि 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2015 के बीच शैलेंद्र भंडारी की सभी वैध स्त्रोतों से कुल आय 61.25 लाख रुपए थी। इसमें उसका वेतन, इंडियन ओवरसीज बैंक से लिया गया होम लोन, उसकी पत्नी दमयंती भंडारी और बेटे अखिल सिंह भंडारी की आय शामिल थी। इसी अवधि में उसका कुल खर्च 29.74 लाख रुपए था, जिसमें होम लोन की वापसी, क्लब मेंबरशिप फीस, बच्चों की शिक्षा, आयकर का भुगतान और घरेलू खर्च शामिल थे। इस प्रकार 61.25 लाख रुपए की आय के मुकाबले भंडारी ने 1.21 करोड़ रुपए की संपत्ति और व्यय किया, जो 59.80 लाख रुपए यानी 97.64 प्रतिशत अधिक था।

यह मामला तब सामने आया जब 31 मार्च 2015 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा और अन्य के खिलाफ धारा 120बी आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला बना। इस ट्रैप कार्रवाई के बाद शैलेंद्र भंडारी के आवासीय और कार्यालयीन परिसरों पर तलाशी ली गई। इस दौरान जब्त दस्तावेजों और एकत्र की गई जानकारी की जांच से पता चला कि भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भारी संपत्ति जमा की थी। तब, 2 मार्च 2016 को सीबीआई के इंस्पेक्टर मुकेश बंसल की ओर से सीबीआई एसीबी जोधपुर द्वारा भंडारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की रिपोर्ट पर 4 मार्च 2016 को डीए केस दर्ज किया गया। विशेष न्यायालय ने शैलेंद्र भंडारी को दोषी पाया। यह धारा सार्वजनिक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित है। कई वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने 26.46 प्रतिशत अवैध संपत्ति सिद्ध होने पर भंडारी को सजा सुनाई। हालांकि तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है, जो अभी सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। रिश्वत के मामले में शर्मा को भी 26 सितंबर 2025 को 4 साल की सजा और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना मिल चुका है। उनके खिलाफ आरोप है कि उनके पास उनकी ज्ञात आय से काफी अधिक की संपत्ति है। सीबीआई ने उनकी विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों की जांच की है।

चिकित्सा विभाग की टीम ने छापे मारे

सीकर, (निसं)। खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरूवार को विभाग की टीम ने मूण्डरू क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान 250 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर को सीज़ किया गया और मिलावट की आशंका पर 500 लीटर दूध नष्ट करवाया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया के निर्देशन में विभाग की ओर से दीपावली पर्व के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत गुरूवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, महमूद अली, नंदराम मीणा, सुरेश कुमार शर्मा की टीम ने मूण्डरू क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

यादव दूध डेयरी मूण्डरू के निरीक्षण के दौरान 250 किलो स्कीम्ड मिल पाउडर (एसएमपी) मिला, जिस पर निर्माण तिथि और यूज बार्ड डेट लिखा हुआ नहीं था। टीम ने पाउडर के दो नमूने लिए उसे सीज़ किया। साथ ही डेयरी पर दूध के दो नमूने लिए और मिलावट की आशंका पर 500 लीटर दूध नष्ट करवाया गया। टीम ने अजीतगढ़ से मिल्क केक, मावा, रसगुल्ला, मावा पेड़ा आदि मिठाइयों के दस नमूने लिए।

सायबर ठग ने तांत्रिक बनकर नौ लाख की ठगी की

- **पैसों की बारिश करने का झांसा देकर परिवार को फंसाया, जान से मारने की धमकी दी**
- **सादुलशहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की**

श्रीगंगानगर, (निसं)। एक सायबर ठग ने तांत्रिक बनकर परिवार को झांसे में लिया। इसके बाद वह पीर बाबा की कृपा और तांत्रिक सिद्धियों का दावा करते हुए नौ लाख रुपए की ठगी कर ली। मामला जिले के सादुलशहर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में शिकायत दी गई है।

शिकायत में में बताया कि ठग अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। श्रीगंगानगर के मोरजंडखारी निवासी विनोद कुमार ने एसीजीएम कोर्ट ने शिकायत देकर बताया कि वह गांव में मजदूरी करता है। आरोपी केवल सिंह निवासी डबवाली, सिरसा (हरियाणा) उनके घर आया और दावा किया कि वह पीर बाबा की सेवा करता है। इससे उसे तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हैं। उसने कहा कि वह किसी को भी अमीर बना सकता है। इस पर उसने विश्वास कर लिया। इसके बाद केवल सिंह ने विनोद को 23 नवंबर 2024 को डबवाली (सिरसा) बुलाया और वहां सेवा के नाम पर पैसे मांगे। विनोद ने अपने जानकार महेंद्र कुमार के गूगल-पे से 30 नवंबर 2024 को 11 हजार रुपए और बाद में अपने गूगल-पे से 3 दिसंबर को 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह विनोद ने टोटल अलग-अलग ट्रांजैक्शन व नकद 9 लाख 35 रुपए ले लिए। जब विनोद को कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने केवल सिंह से संपर्क किया। आरोपी ने टालमटोल करते हुए कहा कि तुम्हारा नंबर जल्द आएगा। इसके बाद में विनोद को पता चला कि केवल सिंह कोई बाबा नहीं, बल्कि सायबर ठग है। इसके बाद विनोद ने पैसे वापस मांगे। तब केवल ने धमकी दी कि मैंने तुझे बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ लिए, जो करना है कर ले। अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर सादुलशहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई कुलवंत सिंह कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

छह लाख की शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर अवैध शराब से भरा एक टेम्पो जब्त किया है। पुलिस ने टेम्पो से 147 कार्टन शराब बरामद किए, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मध्यप्रदेश निवासी दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत बिछीवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आर रहे एक लोडिंग ऑटो को रोककर तलाशी लेने पर उसमे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। टेम्पो में प्लास्टिक की खाली कैरेट की आड़ में अवैध शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे। पुलिस ने तुरंत टेम्पो को जब्त कर लिया और उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने टेम्पो से 147 कार्टन अवैध शराब बरामद की। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी रोहित मराठा और प्रियांशु वाल्मीकि के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी रैकेट के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।

लीडर अपनी जुबान को कंट्रोल रखेगा तो लोग याद रखेंगे : रंधावा

- **नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ट्वीटर से एमएलए पैदा नहीं होते हैं**

बीकानेर, (निसं)। नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ट्वीटर से एमएलए पैदा नहीं होते हैं। नेता में पार्टी का काम, समर्पण, बैकग्राउंड और उसकी ईमानदारी देखी जाती है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को बीकानेर दौरे पर रहे। यहां कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में रंधावा ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि लीडर को जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। नरेश मीणा को टिकट न मिलने की बात पर बोले कि वे कभी मुझसे मिले नहीं। वे बड़े नेता हैं, मैं छोटा आदमी हूं। अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।

इससे पहले उन्होंने अपने पिता की सोनिया गांधी के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके पिता कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। इस पोस्ट को लेकर जब सुखजिंदर रंधावा से सवाल किया गया तो वे बोले कि मैं साढ़े तीन साल से प्रभारी हूं। न मैं कभी उनसे मिला हूं और न वे मुझसे मिले। ट्वीटर से बहुत कुछ हो जाता है। वहां से एमएलए पैदा नहीं होते हैं।

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। पार्टी कभी अमीर-गरीब नहीं देखती। मुझे दुख है कि मैंने नरेश मीणा का ट्वीटर नहीं देखा। आप बड़े लीडर हैं। आप क्या चाहते हैं, आप जो कहेंगे वो मैं कर देता हूं। मैं समझता हूं कि मैंने ट्वीटर देखा नहीं गलती कर दी। रंधावा ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि जो हमारी पार्टी में नहीं, जिसने आज तक मुझसे मुलाकात नहीं की, वो यदि मुझे बोल देते मैं कांग्रेस जॉइन करना चाहता हूं, तो वह कह सकते थे। एक लीडर अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेगा तो लोग याद रखते हैं। जो लीडर एकदम या कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें लोग कम याद रखते हैं। लीडर को टीआरपी बढ़ाने की बात न कर लोगों की बात करें। भाया के टिकट पर कहा कि मुझे पंजाब से लाकर तो यहां लड़ाना नहीं था। इसे लेकर मैंने सभी से बात की और सभी ने एक ही नाम बताया। कांग्रेस किसी के सहारे, धर्म के विपरीत बोलकर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस अपने उसूलों और काम पर चुनाव लड़ती है।

दो हिस्ट्रीशीटर और इनामी बदमाश सहित चार गिरफ्तार

बगड़, (निसं)। झुंझुनूं पुलिस ने बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है। बगड़ थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस ने दो हिस्ट्रीशीटर और इनामी बदमाश सहित चार जनों को दबोचा है। गुरूवार को गिरफ्तारी के बाद बदमाशों का बगड़ के बाजार में जुलूस निकाला गया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए जयपुर और मुंबई जैसी जगहों पर फरारी काट रहे थे। पुलिस टीम ने आरोपियों का पता लगाने के लिए सैंकड़ों सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि करीब पांच महीने पहले 21 मई को क्यामसर निवासी एक युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि वह झुंझुनूं से अपने गांव जा रहा था तो प्रतापपुरा अंडरपास के समीप पांच बदमाशों ने उसकी बाइक रूकवाई और जानलेवा हमला किया। यही नहीं आरोपी उसके पास से ज्वैलरी और नगदी लूटकर ले गए। युवक ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जब आरोपियों को ढूंढना शुरू किया तो सभी फरार हो गए थे। इसी दौरान डीएसटी नवलगढ़ के कांस्टेबल अमित कुमार को सूचना मिली कि हार्डकोर, इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश नितिश उर्फ ब्लेकिया अपने गांव माखर की ढाणी आया हुआ है। जिस पर बगड़ पुलिस ने नितिश उर्फ ब्लेकिया उर्फ कालू पुत्र उम्मेद सिंह जाट के घर पर दबिश दी तो वहां पर नितिश उर्फ ब्लेकिया मिला। उसके साथ ही मौके पर माखर निवासी राहुल उर्फ कालू पुत्र सुरेश पूनियां मिला। दोनों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। दोनों की निशानदेही पर इस प्रकरण में नितिश उर्फ ब्लेकिया के साथी और सूरजगढ़ थाने के हिस्ट्रीशीटर पांच हजार रूपए के इनामी बदमाश संदीप उर्फ डांग पुत्र रोहिताश्व जाट निवासी बिशनपुरा तन अगवाना तथा माखर की ढाणी निवासी अजय जाखड़ पुत्र रामनिवास जाखड़ को मठ स्टैंड के पास से दस्तयाब किया गया।

डॉ. सतीश पूनियां ने रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी

डॉ. सतीश पूनियां ने रामेश्वर डूडी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी।

- **रामेश्वर डूडी के निधन से राजस्थान और समाज को काफी नुकसान हुआ : सतीश पूनिया**

जयपुर/बीकानेर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन पर बीकानेर पहुंचकर रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि, रामेश्वर डूडी के निधन से राजस्थान और समाज को काफी नुकसान हुआ है, वे प्रदेश के किसानों की मुखर आवाज थे। पूनियां ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बी.डी. कल्ला की भाभीजी सावित्री देवी के दुखद निधन पर बीकानेर में श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ईश्वर से सम्बल प्रदान करने की प्रार्थना की।

मीडिया द्वारा राजस्थान की राजनीति में नई भूमिका के सवाल पर सतीश पूनियां ने कहा कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए ऐसी चर्चा होती है, लेकिन निरंतर चलना कार्य करना इंसान की फितरत होती है और चाहे वह कोई भी हो, संगठन और जनसेवा के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए। हम जैसे कार्यकर्ता, जिनके लिए संगठन और जनहित जरूरी है, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, संगठन की मजबूती के लिये परिश्रम, प्रवास और कार्यकर्ताओं से संवाद बहुत जरूरी है, यही कार्य हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार को पर्ची सरकार कहने के जवाब में सतीश पूनियां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कौन से तीर मार लिए थे, अशोक गहलोत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और आज तक नदी का पानी बीकानेर नहीं ला पाए।

बुजुर्ग महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे, आरोपी और महिला मित्र गिरफ्तार

गंगाजी की कोठी गांव में घायल बुजुर्ग महिला।

- **रातभर दर्द से तड़पती रही महिला, होश आने पर रेंगते हुए रास्ते में आई और सहायता मांगी**
- **वाहन चालकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, गम्भीर हालत में जयपुर रैफर**

गंगापुर सिटी, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र के गंगाजी की कोठी गांव में दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया। एक अज्ञात जना महिला को मजदूरी का झांसा देकर गंगापुर लाया और सुनसान जगह ले जाकर महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए।

पुलिस कप्तान अनिल कुमार ने बताया कि कमला देवी निवासी सीतोड गांव (बामनवास) को मजदूरी का झांसा देकर एक शख्स गंगापुर सिटी लाया था। बाद में आरोपी ने निर्ममता से महिला पर हमला कर उसके पैर काट दिए और कड़े लूटकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर हालत नाजुक होने पर जयपुर रैफर किया गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला के पैर के पंजे काटकर बदमाश चांदी के कड़े ले गए। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई। होश आने पर झाड़ियों से रेंगते हुए रास्ते में आई और मदद मांगी। वारदात गंगापुरसिटी इलाके में बुधवार रात की है। पुलिस ने गुरुवार शाम मामले का खुलासा करते हुए युवक और उसकी महिला मित्र को अरेस्ट कर लिया। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि 5 अक्टूबर को पिपलाई कस्बे में एक अज्ञात व्यक्ति उससे मिला था। उसने बताया कि उसके कई जगह पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और मजदूरों की आवश्यकता है। भरोसा दिलाते हुए उसने कमला देवी से मोबाइल नंबर लिया। 8 अक्टूबर को महिला को कॉल कर गंगापुर सिटी मजदूरी करने बुला लिया। कमला देवी अपनी बहू सीमा और पड़ोसी उगंती के साथ मजदूरी के लिए 8 अक्टूबर की सुबह गंगापुर सिटी पहुंची। वहां कॉल करने पर वही व्यक्ति बाइक से बाइपास तिराहा आया। सीमा और उगंती को बाइक पर बैठाकर उदेई मोड छोड़ दिया। अज्ञात व्यक्ति ने बहू से कहा कि मैं तुम्हारी सास को लेकर आता हूं। उसने सीमा का मोबाइल भी अपने पास रख लिया। काफी देर तक महिला के नहीं आने पर बहु सीमा और उगती 8 अक्टूबर की शाम सदर थाना गंगापुर सिटी पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था।

एसपी ने बताया कि गुरुवार सुबह गंगाजी कोठी पुलिया के जाट बडोदा रास्ते पर एक महिला के घायल हालत में पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला के दोनों पैर के पंजे कटे हुए थे। महिला के दोनों पैर में चांदी के कड़े नहीं थे। बदमाश महिला के पैर के पंजे काटकर चांदी के कड़े लूट ले गए। एसपी अनिल कुमार ने बताया कि 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर पुलिस ने एक महिला सहित एक पुरूष आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक महीने पहले ही सेवर जेल से छूटकर आया था। पुलिस ने पीड़ित महिला की बहू के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी रामोतार उर्फ काडू बैरवा (32), निवासी खेड़ा बाढ़ रामगढ़ गंगापुर सिटी और उसकी महिला मित्र तनु उर्फ सोनिया पत्नी रामोतार पुजारी निवासी भैंसा थाना गहनोली मोड भरतपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पूर्व में भी इसी प्रकार की वारदात कर चुका है। आरोपियों ने जिन लोगों को कड़े बेचे, उनकी भी पहचान कर ली गई है। आरोपियों से कड़े बेचने पर मिले रुपए जब्त किए हैं।

विदेशी महिला की हार्ट अटैक से मौत

भरतपुर, (निसं)। एक विदेशी महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 85 वर्षीय डोरोथी ली नोरा के रूप में हुई, जो अमेरिका के अटलांटा की निवासी थी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

जानकारी के अनुसार वह फतेहपुर सीकरी के बाद रणथंभोर जाने वाली थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक महिला हाई बीपी और शुगर की बीमारी से परेशान थी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में टोंक निवासी चालक की मौत

टोंक, (निसं)। जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे पर सावरदा गांव में मंगलवार की रात हुए भीषण सड़क हादसे में टोंक निवासी टैंकर चालक रामराज मीणा की मौत हो गई। हादसे के दौरान चालक रामराज के चीथड़े उड़ गए थे। मौके पर मिले शव के अवशेष को इकठ्ठा कर एक थैले में समेटकर एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया, जहां से थैली को लेकर परिजन पैतृक घर पहुंचे। बुधवार देर शाम जैसे ही रामराज के शव से भरी थैली को लेकर भाई ग्राम राजकोट में पैतृक घर पहुंचा तो चीख-पुकार मच गई, जिसे देखकर मृतक की पत्नी बेसुध हो गई और दो छोटे बच्चे भी चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के पिता किशन की 12 साल पहले मौत हो चुकी है, तीन भाई है, जिनमें रामराज सबसे छोटा था। रामराज के शव का अन्तिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर की रात जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे पर सावरदा गांव के पास केमिकल टैंकर ने घरेलू गैस सिलेंडर भरे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे केमिकल से भरा टैंकर आग का गोला बन गया, कुछ ही देर में गैस सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। सिलेंडर 40 से 50 फीट तक उछलकर ब्लास्ट हुए। इस हादसे में टैंकर चालक रामराज मीणा जिंदा जल गया था। इस दौरान पांच लोग घायल हो गए थे।

किसी ने मुझसे नहीं कहा कि टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सच्चाई ये है कि संन्यास का फैसला करने से पहले दो-तीन लोगों ने मुझे ऐसा करने से इनकार कर दिया था लेकिन मैंने अपना फैसला लिया। असल में वे चाहते थे कि मैं और खेलूं। - आर. अश्विन

पूर्व भारतीय गेंदबाज, अपने संन्यास को लेकर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी — क्रिस्टियानो रोनाल्डो

दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। वह दुनिया के ऐसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं। जिन्होंने अरबपतियों की लिस्ट में जगह बनाई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौजूदा संपत्ति 1.4 अरब डॉलर है। भारतीय रुपये में देखें तो ये धनराशि करीब 12,352 करोड़ रुपये के आस पास आती है। 40 वर्षीय रोनाल्डो ने 2002 से 2023 के बीच 550 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की थी। ये धनराशि उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे बड़े यूरोपीय क्लबों के साथ खेलने और निवेश एंड एंडोर्समेंट से हासिल हुई थी।

क्या आप जानते हैं ?... वेस्टइंडीज़ दो बार लगातार (1975 और 1979) विश्व कप जीतने वाली पहली टीम थीं और वह लगातार तीन विश्व कप फाइनल (1975, 1979 और 1983) में खेली।

मैं भारत के लिए तीनों प्रारूपों में आईसीसी ट्रॉफियां जीतना चाहता हूं : शुभमन गिल

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। भारतीय टेस्ट और एकदिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि वह भारत के लिए तीनों प्रारूपों में आईसीसी ट्रॉफियां जीतना चाहते हैं। गिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पूर्वसंध्या पर गुरूवार को आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''लगातार तीनों प्रारुपों में खेलने से तो शारीरिक थकान तो एक बात है, लेकिन कई बार जब आप लगातार खेलते हो तो मानसिक थकान हो जाती है। मैं जब खेलता हूं तो स्वयं से मेरी कुछ अपेक्षाएं होती हैं और मेरा कुछ लक्ष्य होता है।

यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि मुझे पूरा करना होता है। मैं भारत के लिए तीनों प्रारूपों में खेलना चाहता हूं और सफल होना चाहता हूं। मैं आईसीसी ट्रॉफीज जीतना चाहता हूं। और अगर मुझे ऐसा करना है तो यह एक चुनौती है, जिसे मुझे पूरा करना है।'' टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल ने अब अंतरराष्ट्रीय टी-20 में ना सिर्फ वापसी की, बल्कि उन्हें उपकप्तानी भी मिली। इसके बाद वह घरेलू जमीन पर अपनी कप्तानी में पहला टेस्ट मैच जीत रहे थे तभी उन्हें एकदिवसीय टीम का भी कप्तान बना दिया गया।भारतीय टीम प्रबंधन अब भविष्य की ओर देख रहा है अब रोहित शर्मा टीम में बस एक खिलाड़ी के रूप में रह जाएंगे।

अगले साल भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप के अलावा, वर्तमान में चल रहा 2027 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र और 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला एकदिवसीय विश्व कप शामिल है। उन्होंने कहा, ''बेशक यह घोषणा अहमदाबाद टेस्ट के दौरान (के बाद) हुई, लेकिन मुझे एकदिवसीय कप्तानी मिलने के बारे में टेस्ट मैच से थोड़ा पहले ही पता चल गया था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान है। मैं वनडे में भी अपने देश का कप्तानी करने के लिए उत्साहित हूं। पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं और मैं आगे की ओर देख रहा हूं। मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं और ज्यादा पीछे नहीं देखना चाहता। मैं बस भविष्य की ओर देख रहा हूं और आने वाले महीनों में जो भी मैच आए, उन्हें जीतना चाहता हूं।'' गिल ने इस बात से इनकार कर दिया कि रोहित और विराट उनके 2027 की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं। गिल ने तो यह भी कहा कि वह रोहित की कप्तानी से बहुत कुछ अपनी कप्तानी में उतार भी रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''रोहित और कोहली के पास जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह से उन्होंने भारत को मैच जिताए हैं, ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होंगे। उनकी क्षमता, कौशल और अनुभव के खिलाड़ी दुनिया में भी बहुत कम है। ये सब देखते हुए हम निश्चित रूप से उनकी ओर देख रहे हैं। इसके अलावा रोहित (शर्मा) भाई जिस तरह से शांत रहते हैं और जिस तरह से वह खिलाड़ियों के साथ संबंध बनाते हैं, वह सब उनसे सीखने लायक है।''

भारतीय टीम का कैलेंडर आने वाले समय में बहुत व्यस्त है। टेस्ट सीरीज समाप्त होने के तुरंत बाद भारतीय टीम दिल्ली से ही पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) के लिए रवाना हो जाएगी, जहां उन्हें तीन एकदिवसीय और पांच अंतरराष्ट्रीय टी20 खेलने है। इसके बाद भारतीय टीम को तुरंत ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है। गिल की तीनों प्रारूपों में भूमिका का मतलब है कि उन्हें अब लगातार क्रिकेट खेलना है।

भारत की संभावित एकादश:- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मो. सिराज।

वेस्टइंडीज की संभावित एकादश:- रोस्टन चेज (कप्तान), तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, जोहान लेने और जेडेन सील्स।

38 वर्षों से दिल्ली में अपराजित है भारत

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। भारतीय टीम पिछले 38 वर्षों से दिल्ली में अपराजित है जहां उसका वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से शुरू होगा। भारत ने दिल्ली में आखिरी बार 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ (5 विकेट से) टेस्ट गंवाया था। तब से, उन्होंने इस मैदान पर 11 टेस्ट जीते हैं और दो ड्रॉ रहे हैं।

विमेंस वर्ल्डकप : दक्षिण अफ्रीका की भारत पर लगातार तीसरी जीत

काम न आई ऋचा घोष की पारी

विशाखापटट्नम, 9 अक्टूबर। भारतीय टीम को विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पहली हार झेलनी पड़ी है। उसे साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। गुरुवार को विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका ने 252 रन का टारगेट 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर चेज कर लिया। नदिन डी क्लर्क 84 रन बनाकर नाबाद लौटीं। उन्होंने क्लो ट्रायोन के साथ 60 बॉल पर 69 रन की साझेदारी की।

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। एक समय भारत के 6 विकेट 102 रन पर गिर गए थे। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने 77 गेंदों पर 94 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला। ऋचा जब बल्लेबाजी करने उतरीं तब भारत अपने छह विकेट 102 रन पर गंवाकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन ऋचा ने 77 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाकर भारत को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। ऋचा ने अमनजोत कौर के साथ सातवें विकेट के लिए 51 रन और स्नेह राणा के साथ आठवें विकेट के लिए 88 रन जोड़े।

अमनजोत ने 13 और स्नेह राणा ने 24 गेंदों में छह चौकों की मदद से 33 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के स्कोर में 24 वाइड सहित 25 अतिरिक्त रनों का भी अहम योगदान रहा। एक समय लग रहा था कि भारत 200 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ट्राइऑन और म्लाबा के दोहरे झटकों की बदौलत भारत 102 के स्कोर पर अपने छह विकेट गंवा चुका था। लेकिन यहां से ऋचा घोष और अमनजोत ने भारत की पारी को संभाला और फिर स्नेह राणा और घोष के बीच 88 रनों की साझेदारी हुई। घोष ने 94 रनों की यादगार पारी खेली जो आने वाले लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

अंडर-16 ट्रॉफी : जयपुर 8 विकेट से जीती

जयपुर, 9 अक्टूबर। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार बीसीसीआईकी आगामी राष्ट्रिय अंदर 16 ट्रॉफी के संभावितों के चयन हेतु आरसीए द्वारा आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय अंडर 16 ट्रॉफी के आज जयपुर में खेले गए मैचों का परिणाम :- सवाई माधोपुर - श्रीगंगानगर मैच श्रीगंगानगर 7 विकेट से जीती, झुंझनू - हनुमागढ़ मैच - मैदान गीला होने कारण स्थगित, भरतपुर - झालावाड़- भरतपुर 153 रन से जीती, बांसवाड़ा - बाड़मेर- बाड़मेर 7 विकेट से जीती, सीकर - प्रतापगढ़ -सीकर 349 रन से जीती, करौली - जयपुर जयपुर 8 विकेट से जीती, जैसलमेर - दौसा जैसलमेर 153 रन से जीती, पाली - नागौर- पाली 13 रन से जीती, डूंगरपुर - बारां- डूंगरपुर 114 रन से जीती, उदयपुर - अलवर - उदयपुर 40 रन से जीती, बीकानेर - चित्तोड़ - बीकानेर 152 रन से जीती, अजमेर - जोधपुर - अजमेर 81 रन से जीती, भीलवाड़ा - धौलपुर - भीलवाड़ा 41 रन से जीती, सिरोही - बूंदी - सिरोही 88 रन से जीती, चूरू - कोटा - चूरू 60 रन से जीती, जालोर - राजसमंद - राजसमंद 6 विकेट से जीती।

ब्लैक डायमंड व गुलमोहर क्लब जीती

जयपुर, 9 अक्टूबर। नरेन्दर मेमोरियल फाउन्डेशन के तत्वावधान में एस.एम.एस. स्टेडियम के एस्ट्रोटर्क पर खेली जा रहीं गुर इकबाल सिंह, भुल्लर स्मृति सिक्स-- ए- साइड पुरुष हाकी प्रतियोगिता'' एवं '' नरेन्दर कौर भुल्लर स्मृति

सिक्स-ए-साइड महिला हॉकी प्रतियोगिता में आज तीन मैच खेले गये। पुरुष वर्ग में आज का पहला चुकाबला भगतसिंह क्लब एवं राजपुताना क्लन के मध्य खेला गया, जो बेहद रोचक रहा तथा 3-3 गोल से बराबरी पर छुटा। मध्यांतर तक भगतसिंह क्लब 2-0 से आगे थी तथा उत्तरार्द्ध में भी तीसरा गोल भगतसिंह क्लब ने कर 3-0 स्कोर कर दिया। किन्तु रजपुताना क्लब ने पलटवार करते हुये तीन गोल कर स्कोर कर 3-3 से बराबर कर लिया। भगतसिंह क्लब के लिये लकी, देवासुरावत एवं रुद्रप्रताप ने गोल किये, जबकि राजपुताना के लिये रजत और बबलू ने एक गोल किया। पुरुष वर्ग का आज का दूसरा मुकाबला ''ब्लैक डायमंड व वारियर्स क्लन'' के मध्य खेला गया। जिसमें ''ब्लैक डायमंड 4-0 से विजेता रही। विजेता टीम ब्लैक डायमंड के लिये रविन्द्र ने 2 गोल जबकि प्रक्षण और सनप्रीत ने एक-एक गोल किये। महिला वर्ग की प्रतियोगिता में ''गुलमोहर क्लब'' ने ''सनसिटी क्लन'' को 2-1 से पराजित किया। गुलमोहर के लिये दोनों गोल रिया ने किये जबकि पराजित टीम के लिये एकमात्र गोल पूनम कंवर ने किया। आज की विशिष्ट अतिथि पूर्व राष्ट्रीय हॉकी महिला खिलाड़ियों यथा प्रीति सप्रे, मोना कालिया और भारती चौहान थी, जिन्होंने उपरोक्त मुकाबलों में क्रमश: खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें प्रोत्साहित किया।

खेलो क्रिएटर्स लीग की धमाकेदार शुरुआत : सितारों, संगीत और खेल के रंग में रंगा जयपुर

जयपुर, 9 अक्टूबर। जयपुर में खेलो क्रिएटर्स लीग (केसीएल) एक ऐसी लीग का आज आगाज़ हुआ जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, बल्कि मैदान में अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे है। डिजिटल दुनिया के स्टार क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स मैदान पर नज़र आये, तो माहौल तालियों और जोश से गूंज उठा। यह लीग 9 से 11 अक्टूबर तक जयपुर के सीतापुरा स्थित ज़ी स्टूडियोज़ में खेली जा रही है। इस अनोखी पहल का मकसद है - डिजिटल दुनिया की रचनात्मकता को खेल की ऊर्जा से जोड़ना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, नीरज के. पवन ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने कहा, यह शानदार पहल है, जो दिखाती है कि आज के डिजिटल क्रिएटर्स कितने ऊर्जावान और बहुमुखी हैं। यह सिर्फ खेल नहीं, एक नई सोच है। उद्घाटन समारोह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। लाल परी फेम सिंगर सिमर कौर ने जब मंच संभाला, तो हर कोई झूम उठा। उनका लाइव कॉन्सर्ट पूरे माहौल में जोश और मस्ती भर गया, जिसने लीग की शुरुआत को और भी धमाकेदार बना दिया।

स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह पर अंडरवर्ल्ड की बुरी नजर

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। मध्यक्रम के बल्लेबाज और एक बेहतरीन आउटफील्डर, रिंकू सिंह ने उस समय सभी को चौंका दिया जब उन्होंने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच गेंदों में 28 रनों की जरूरत के समय यश दयाल की गेंद पर लगातार पांच छक्के लगाए। तब से वह काफी ज्यादा मशहूर हो गये। इस बार मामला रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का नहीं बल्कि कुछ और है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड गैंग डी-कंपनी से 5 करोड़ की फिरौती की धमकी मिली है। यह चिंताजनक घटना भारत में हाई-प्रोफाइल सार्वजनिक हस्तियों के सामने बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है।

रिंकू सिंह को कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली

मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, जांच में पता चला कि कुख्यात दाऊद इब्राहिम गिरोह, जिसे डी-कंपनी के नाम से जाना जाता है, ने फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रचार टीम को तीन फिरौती की मांगें भेजीं, जिसमें 5 करोड़ की मांग की गई। पुलिस ने मामले से जुड़े दो संदिग्धों मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार किया है, जिन्हें वेस्ट इंडीज में पकड़ा गया था और 1 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

स्मृति मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी

विशाखापटट्नम, 9 अक्टूबर। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। दरअसल, मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार को अफ्रीका के खिलाफ मंधाना का बल्ला नहीं चला। वह 32 गेंद में 23 रन ही बना पाई। स्मृति मंधाना अफ्रीका के खिलाफ अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदल नहीं सकी। उन्होंने 32 गेंद में एक चौके और इतने ही छक्के की मदद से 23 रन बनाए।

एमसीए चुनाव 12 नवंबर को

मुंबई, 9 अक्टूबर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने घोषणा की है कि पदाधिकारियों, शीर्ष परिषद के सदस्यों और टी20 मुंबई लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के चुनाव 12 नवंबर को होंगे। शीर्ष परिषद ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त जेएस सहारिया को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है।

टीम से बाहर होने पर मो. शमी ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था। इसके बाद से वह टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, शमी ने आईपीएल में हिस्सा लिया और घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए लगातार खेलते रहे हैं फिर भी बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने उन्हें पहले वेस्टइंडीज और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए नजरअंदाज किया है।ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए घोषित वनडे और टी20 टीम में भी शमी को शामिल नहीं किया गया है। ये दौरा 19 अक्तूबर से शुरू हो रहा है। इस मामले में शमी ने पहली बार कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि, मैं पूरी तरह फिट हूं और लगातार खेल भी रहा हूं फिर भी मुझे नहीं चुना गया। इसका कारण मुझे अब तक नहीं बताया गया है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चयन नहीं होने पर शमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि, बहुत सारी अफवाहें और मीम्स चल रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए चयन को लेकर क्या सोचता हूं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि चयन मेरे हाथ में नहीं है। ये चयन समिति, कोच और कप्तान का काम है। शमी ने आगे कहा कि, मेरी फिटनेस भी अच्छी है। मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता हूं क्योंकि जब आप मैदान से दूर रहते हैं तो खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने दलीप ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था, जहां मैंने लगभग 35 ओवर डाले और मेरी रफ्तार और लय दोनों ही अच्छी थीं। मुझे अपनी फिटनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।

महिला वाटर पोलो क्वार्टर फाइनल में चीन से भारतीय टीम हारी

अहमदाबाद, 9 अक्टूबर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के छठे दिन गुरुवार को वाटर पोलो स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम को चीन ने 6-34 से हार का सामना करना पड़ा। आज यहां वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुकाबले में चीन ने शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और पहले क्वार्टर में ही बढ़त बना ली और महिला क्वार्टर फ़ाइनल में भारत पर 34-6 से शानदार जीत हासिल की। ली पेयांग, ली लिनयुन और ली जियान्यु ने सात-सात गोल दागे और पूरे मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। हान वेन ने छह गोल किए, जबकि वांग शिन ने तीन गोल किए।

पद्मनाभ सिंह और लियोरेंट चमके

जयपुर, 9 अक्टूबर। रामबाग पोलो ग्राउंड पर जयपुर पोलो ओर ट्रोजंस पोलो टीम के बीच मैच खेला गया जिसमें जयपुर पोलो टीम ने ट्रोजंस पोलो टीम को 4 के मुकाबले 10 गोलों से हराया। ट्रोजंस पोलो टीम की ओर से हुर्र अली ने 2 गोल ओर कुलदीप सिंह ने 2 गोल किये। जयपुर पोलो टीम की ओर सेवंदित गोलछा ने 3, लांस वाटसन ने 2 गोल, महाराज पद्मनाभ सिंहने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 5 गोल कर अपनी टीम को जीत दिलाई। रामबाग पोलो ग्राउंड पर दूसरा मैच डायनामिक्स अचीवर्सओर सुहाना ऑल स्टार पोलो टीम के बीच खेला गया जिसमें ऑल स्टार पोलो टीम ने डायनामिक अचीवर्स को 6 के मुकाबले 8 गोल से हराया। सुहाना ऑल स्टार पोलो टीम की ओर से ध्रुवपाल गोदारा ने 3 गोल ओरलियोरेट ने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल किये। डायनामिक अचीवर्स की ओर से डेनियल ओटमेडी ने 3 गोल किए जबकि शमशीर अली ने अपनी टीम के लिए 3 गोल किए।

Government of India

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office, Gandhinagar, 3rd Block, 5th Floor, F2, Sector-10a, Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)- 382010 Email: Iro.gandhingr-mefcc@gov.in, Tel No. +9179-29613951

Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/445138/2023 Dated: 03/06/2025

To,

Principal Secretary (Forest and Environment),
Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,
Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject: Proposal for diversion of 5.32 ha of Reserved Forest land for the construction of approach road to Pachpahar in the State of Rajasthan in favour of the Executive Engineer, Public Works Department Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/445138/2023).

Sir/Madam,

I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/ROAD/445138/2023 dated 20/09/2023 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Empowered Committee in its 25th Meeting held on 30.05.2025.

After careful consideration and approval of the proposal by the 25th REC, I am directed to convey the "In-Principle/ Stage-I" approval of the Central Government under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam. 1980 for the proposal for non-forestry use of 5.32 ha of Reserved Forest land for the construction of approach road to Pachpahar in the State of Rajasthan in favour of the Executive Engineer, Public Works Department Rajasthan subject to the fulfillment of the following general, standard and specific conditions:

1. General Conditions

S.No	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of the Stage-II clearance
1.3	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage--II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record
1.4	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale
1.5	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.7	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.8	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.9	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.10	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.11	The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.12	No labour camp shall be established on the forest land
1.13	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.15	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.16	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.17	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.18	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.19	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.20	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.21	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.22	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.23	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015
1.24	No tree felling shall be involved in the implementation of this project..
1.25	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 10.64 ha Degraded forest land, Survey No. 218, 219, 226, 227, 229, 230, 235, Village- Kota Municipal Area, Tehsil-Ladpura, Range- Ladpura, District- Kota of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.26	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.32 ha non- forest land, Survey No. 138. Village- Kudet, Tehsil- Sangod, Range- Kanwas, District- Kota of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.

2. Standard conditions

S.No	Conditions
2.1	The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side of the road before final clearance.
2.2	The reclamation of quarry should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.
2.3	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.
2.4	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.
2.5	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-1 compliance report;
2.6	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals

3. Specific Conditions

S.No	Conditions
3.1	The User Agency shall construct 6 feet high wall along the boundaries of the Non-forest land and Degraded-forest land proposed for CA.
3.2	User Agency shall provide at its cost the required number of Solar Pumps as given by the Forest Department for irrigating the CA plantation.
3.3	The User Agency shall construct underpasses of 5-meter height and 5 meters wide at every 500 meters along the length of the road in forest land for safe passage of the animals or required numbers as per local conditions, to be approved by the CWLW
3.4	The User Agency shall also plant 1000 trees of Ficus species/Indigenous species on both sides of the road at its cost.

After receipt of compliance report on fulfillment of all the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-principle/Stage-I approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years.

Your's faithfully
(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/Head of Department
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt of India

DIPR/C/14655/2025

अमित शाह 13 को जयपुर में कलैक्टर -एसपी कॉन्फ्रैंस में भी भाग लेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की

जयपुर, 9 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे (13 अक्टूबर) की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद, आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है। इन तीन नवीन कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित होने वाली छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली।

शर्मा ने कहा कि इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024" के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग के साथ ही, विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही, प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी राशि का हस्तान्तरण तथा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ किया जाएगा। एफ.एस.एल. हेतु वाहनों एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग की स्कूटियों एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 13 अक्टूबर से जयपुर में जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेन्स का आयोजन करने जा रही है।

- **गृह मंत्री अमित शाह जयपुर प्रवास के दौरान तीन नये कानून के एक वर्ष पूर्ण होने पर सीतापुर में आयोजित 6 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे तथा राइज़िंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग, दूध सब्सिडी की राशि का हस्तांतरण भी करेंगे।**

इस दौरान कानून व्यवस्था, भूप्रबंधन, सुशासन, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेन्स के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय गृहमंत्री भी शामिल होंगे।

इस दौरान, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूची को एक समेकित रूप में जारी करने के बजाय, 90,000 अलग-अलग इमेज फाइलों में जारी किया है। कांग्रेस का सवाल है - चुनाव आयोग मतदाता सूची को विश्लेषण के लिए सुगम बनाने में क्यों हिचक रहा है? आखिर उसे डर किस बात का है?

कांग्रेस पार्टी ने बिहार मतदाता सूची के प्रारंभिक विश्लेषण के बाद ईसीआई से नीचे दिए गए सवाल पूछे हैं -

1. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में 7.72 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। अब विधानसभा चुनावों के लिए यह संख्या घटकर 7.42 करोड़ रह गई है, यानी लगभग 30 लाख मतदाता सूची से गायब हैं।

ये 30 लाख लोग कौन हैं?

इनमें से कितने लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था?

2. ईसीआई का दावा है कि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन फॉर्म 6 केवल 16.93 लाख के लिए उपलब्ध है।

बाकी 4.6 लाख फॉर्म कहाँ हैं?

क्या इन मतदाताओं को बिना उचित प्रक्रिया के जोड़ा गया?

3. एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल 67.3 लाख मतदाताओं को हटाया गया, जिनमें से एक-दसवां हिस्सा सिर्फ 15 विधानसभा क्षेत्रों में ही है। चुनाव आयोग ने अब तक सभी हटाए गए मतदाताओं की अंतिम सूची (बूथ व कैटगरी अनुसार) क्यों सार्वजनिक नहीं की?

4. कांग्रेस के विश्लेषण के अनुसार, अंतिम प्रकाशित सूची में अब भी 5 लाख से अधिक डुप्लिकेट मतदाता (जिनका नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, लिंग और पता समान है) मौजूद हैं।

जब इतने डुप्लिकेट अब भी हैं, तो एसआईआर का उद्देश्य क्या था?

अब आयोग इन्हें सत्यापित और साफ कैसे करेगा?

कांग्रेस ने यह भी कहा कि सीईसी ने यह अनुमति दी है कि नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक ही नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद मतदाता सूची को फ्रीज़ किया जाना चाहिए, और किसी भी पूरक सूची से मूल मतदाता आधार में बदलाव नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में अनियमितताओं और इसके जरिए चुनावी परिणामों में कथित हेरफेर की ओर इशारा करते रहे हैं। पार्टी ने मतदाता सूचियों को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के सभी प्रयासों का स्वागत किया है।

कांग्रेस का कहना है कि ऊपर दिए गए सवालों के स्पष्ट उत्तर देना चुनाव आयोग के लिए जनता का भरोसा जीतने और मतदाता सूची की साख व पारदर्शिता साबित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

'हर परिवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नौकरी पाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार बनने के 20 दिनों के अन्दर विधेयक (कानून) लाया जाएगा। उन्होंने कहा, "बिहार में ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसमें नौकरी न हो।"

तेजस्वी ने कहा, "हम आज एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि हम बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। बीते 20 वर्षों में इस जर्जर सरकार ने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है।" उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दल -जेडीयू और भाजपा नौकरियों का वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, बिहार का कोई भी परिवार जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसे एक नई विधायी व्यवस्था के तहत नौकरी दी जाएगी। सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर यह कानून लाया जाएगा, और 20 महीनों के भीतर हम सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में कोई ऐसा घर न बचे जिसमें सरकारी नौकरी न हो।

एसएमएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसएमएस अस्पताल के एचओडी डॉ. मनीष अग्रवाल के खिलाफ परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी कि वह न्यूरो सर्जरी विभाग में काम आने वाले ब्रेन कॉइल सप्लाई करता है। लेकिन डॉ. मनीष अग्रवाल इनके बिलों पर काउंटर सिग्नेचर करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन करवाया, जिसमें शिकायत सच पाई गई। फिर एचओडी डॉ. मनीष अग्रवाल को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया और गुरुवार की देर शाम डॉ मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपये रिश्वत लेते ट्रैप किया गया।

'अपने सामान के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि जैसे-जैसे शटडाउन लंबा खिंचता है तो समयपालन (पंक्चुअलिटी) प्रभावित हो सकती है। ओएजी एविएशन के वरिष्ठ विश्लेषक जॉन ग्रांट कहते हैं, "हवाई यातायात सटीकता और मनोबल पर चलता है। अनिश्चितता और बिना वेतन पर दक्षता बनाए नहीं रखी जा सकती।"

क्रूज़ यात्रा पर अभी तक इसका असर अपेक्षाकृत कम है। तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) और सीमा शुल्क एजेंट जैसे जरूरी संघीय कर्मचारी काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें भी वेतन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर यह गतिरोध लंबा चला, तो बंदरगाहों और सीमा शुल्क संचालन पर भी असर पड़ सकता है।

जमीन पर स्थिति और भी खराब है। अमेरिका के नैशनल पार्क, जो आमतौर पर पतझड़ के मौसम में पर्यटकों से भरे रहते हैं, अब प्रशासनिक जड़ता में फंसे हुए हैं। योसेमाइट, यैलो स्टोन, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे स्थान खुले तो हैं, लेकिन वहां के विज़िटर सैंटर, शौचालय और स्मारक जैसे सुविधायें बंद हैं। नेशनल पार्क सर्विस (एनपीएस) ने लगभग 64 प्रतिशत कर्मचारियों - यानी करीब 9,300 लोगों - को अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया है, जिससे कई पार्क बिना निगरानी के रह गए हैं।

नेशनल पार्क्स कंज़र्वेशन एसोसिएशन (एनपीसीए) ने चेताया है कि स्थिति खतरनाक हो रही है। एनपीसीए की अध्यक्ष थेरेसा पिएर्नो कहती हैं, "ग्रेट फॉल्स में आगंतुकों ने अवैध रूप से गाड़ियाँ पार्क कीं और अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लांघे। गेटवे में भीड़ समुद्र तटों पर उमड़ पड़ी जबकि वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था - यह गंभीर सुरक्षा जोखिम है।" उन्होंने कहा कि पार्कों पर दबाव बढ़ रहा है और इस शटडाउन को उन्होंने "नैशनल पार्क्स के सिस्टम्स के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक" बताया।

शहरी यात्रियों को भी राहत नहीं है। वॉशिंगटन डी.सी. में पर्यटकों को नेशनल आर्काइव्स, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और लाइब्रेरी ऑफ कॉन्ग्रेस जैसी जगहों से वापस भेजा जा रहा है, जो अनिश्चितकाल के लिए बंद हैं। एक ब्रिटिश यात्री ने रैडिट पर लिखा, "हम लंदन से "डिक्लेरेशन ऑफ इनडिपैंस" देखने आए थे, लेकिन अब अंदर जा ही नहीं सकते।"

फिर भी सांस्कृतिक जीवन पूरी तरह ठप नहीं हुआ है। जॉन एफ. कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे थिएटर और संगीत हॉल अभी भी सीमित स्टाफ के साथ कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं - जो लोगों के लिए इस असामान्य माहौल में सामान्यता की एक झलक है।

इस बीच, वीज़ा स्वीकृति या आप्रवासन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे विदेशी यात्रियों को नई अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल ने चेतावनी दी है कि दूतावासों में सीमित स्टाफ के कारण आवेदनों में हफ्तों की देरी हो सकती है। बयान में कहा गया, "जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन लंबी प्रतीक्षा की उम्मीद करें।"

फिलहाल अधिकांश उड़ानें संचालित हो रही हैं और क्रूज़ जहाज रवाना हो रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि असली चिंता साख की है। एटमॉस्फीयर रिसर्च ग्रुप के यात्रा अर्थशास्त्री हेनरी हार्टवेल्ड कहते हैं, "हर दिन जब यह शटडाउन जारी रहता है, यह अमेरिका की एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में छवि को थोड़ा और कमजोर कर देता है -चाहे वह व्यापारिक यात्रा हो या पर्यटन।" राजनीतिक गतिरोध जारी रहने के बीच यात्रियों के लिए संदेश स्पष्ट है - सिर्फ पासपोर्ट नहीं, धैर्य भी साथ रखें।

दो साल की बेरहम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों जगहों पर लोगों ने स्वत: जश्न मनाना शुरु कर दिया। हमले के बाद दो वर्षों तक, उन्होंने अमानवीय हालात और अपने प्रियजनों की मौतों का गहरा दुख झेला है।

यहाँ तक कि गाज़ा की जनता भी हमास आतंकवादियों के कर्मों की भारी कीमत चुका कर थक चुकी है। अरब आबादी का एक बड़ा हिस्सा युद्ध की भयंकर मानवीय और आर्थिक कीमत चुकाए जाने से दुखी था और अब वो शांति और बंधकों की रिहाई की कामना कर रहा था।

समग्र वापसी (ओवर ऑल डिस्एंगेजमैंट) के विभिन्न विवरणों पर, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई प्रमुख अरब तथा मुस्लिम देशों के सक्रिय मार्गदर्शन में काम चल रहा है।

शांति वार्ताएं मुख्य रूप से मिस्त्र के शहर शर्म अल शेख में हुईं, जो इज़रायल की सीमा पर स्थित है। तुर्की ने भी इन वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी की और संघर्षविराम तथा जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी करने की इच्छा जताई।

इससे जुड़ा एक सवाल कई लोगों के मन में घूम रहा है, जिनमें कुछ शीर्ष इज़रायली नेता भी शामिल हैं और वे इस उपलब्धि के लिए डॉनल्ड ट्रंप को खुश करने के उत्सुक हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या इज़रायल-गाज़ा शांति से डॉनल्ड ट्रंप को राजनीतिक लाभ मिलेगा? क्या यह उपलब्धि उन्हें राजनीतिक वरदान देगी? इस पर कई हलकों में चर्चा जारी है।

बंगाल में भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलेगी। तकनीकी साधनों के उपयोग का निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि स्कूल शिक्षक, जिन्हें बीएलओ के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, अत्यधिक कार्यभार से परेशान हैं। स्कूल छः दिन चलते हैं, तथा बहुत से शिक्षकों को लम्बी दूरी तय करके स्कूल आकर शिक्षण कार्य करना होता है। इसलिये अपनी शिक्षण जिम्मेदारियों के साथ-साथ, घर-घर जाकर एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने में शिक्षकों ने कठिनाई जताई है। बहुत से शिक्षकों ने आयोग से अनुरोध किया है कि उन्हें एक महीने का अवकाश दिया जाए, ताकि वे चुनाव संबंधी कार्य पूरी कुशलता से पूरा कर सकें। प्रक्रिया की तैयारी के तहत, आज कोलाघाट में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर, बांकुरा और झाड़ग्राम जिलों के बीएलओ, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) और सहायक ईआरओ शामिल हुए।

सीजेआई पर हमला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रॉक्सिमिटी एक्सेस कार्ड तुरंत रद्द किया जाए। सूत्रों के अनुसार, 71 वर्षीय वकील के खिलाफ फौजदारी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की अनुमति लेने हेतु अटॉर्नी जनरल को पत्र भेजा गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी राकेश किशोर को निलंबित कर दिया है। किशोर, जिन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक सम्बद्धता या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ने समाचार एजेंसी "एएनआई" को बताया कि उन्होंने यह कदम भावनात्मक पीड़ा के कारण उठाया, जो उनके अनुसार, हिंदू धार्मिक मामलों में "बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप" के चलते उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपने कृत्य पर कोई अफसोस व्यक्त नहीं किया।

MODEL	S-PRESSO	ALTO K10	CELERIO	WAGONR	SWIFT	DZIRE	BREZZA	ERTIGA	EECO
REDUCTION IN PRICE^ (₹) UP TO	129 600	107 600	94 100	79 600	84 600	87 700	112 700	46 400	68 000
NOW STARTING AT^ (₹)	349 900	369 900	469 900	498 900	578 900	625 600	825 900	880 000	518 100
ADDITIONAL FESTIVE OFFERS* (₹) UP TO	47 500	52 500	52 500	57 500	48 750	2 500	35 000	-	42 500

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908